(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम विधान सभा के पंचम सत्र का पहला दिवस [संख्या 2

सोमवार,

17 फरवरी, 1975

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.45 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा): मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण·····

श्री केदार नाथ: आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री सचिव (राजस्थान विधान सभा): की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

व्यवस्था का प्रश्न-अभिभाषण संबंधी

श्री केदार नाथ (गंगानगर): अध्यक्ष जी, सचिव महोदय जो यहां पर ले करना चाहते हैं, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर—मैं इसको राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं मानता। जो कान्स्टीट्यूशनल सेंक्टिटी होती है, वेलिडिटी होती है एड्रेस की—इन दोनों को यह फ्लाउट करता है। एड्रेस शुरू से आखिर तक न पढ़ा गया, न यह कहा गया "Treat it as read" इसलिये मैं आपका आदेश चाहता हूं और इससे पहले यहां सदन की मेज पर इसे रखने की इजाजत न दी जाये।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली): आन ए पाइन्ट आफ प्रिविलेज, माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न जरूर खेद जनक है, संविधान और हमारे नियमों के अन्तर्गत जो राज्यपाल महोदय ने एड्रेस दिया, परम्पराओं के अनुसार भी, मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के अनुसार भी, कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 174 के अनुसार भी वह एड्रेस है, इसलिये वही एड्रेस है, सदन पटल पर उसी एड्रेस को रखना चाहिये। और दूसरा एड्रेस दिया गया है, मुझे विश्वास है, यह एड्रेस दूसरा एड्रेस है, यह एड्रेस एक्सप्लीकेट करने वाला एड्रेस है। ऐसी स्थिति में दूसरा एड्रेस माननीय सदस्यों को ज्यादा जानकारी देने की प्रक्रिया मात्र है। इसलिये जो एड्रेस राज्यपाल महोदय ने पढ़ा है उसे ही सदन पटल पर रखा जाना चाहिये। यह परम्परा है और यह संविधान के अन्तर्गत है।

श्री दीपंकर (लाडनूं): अभिभाषण को संक्षिप्त रूप में पढ़ा गया है, इसलिये उसे माना जाना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसमें स्थिति दूसरी है। हमारे संविधान के अनुसार जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, अभिभाषण जो उन्होंने पढ़ा वही उनका अभिभाषण है। राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण पढ़ते हुये यह

Page No 2

(2)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कहीं संकेत नहीं किया कि वे अभिभाषण के अमुक अमुक पैरा को पढ़ रहे हैं और बाकी पैरा पढ़े हुये मान लिये जायं। इस प्रकार का कोई संकेत, इस अभिभाषण के अतिरिक्त और कोई अभिभाषण के अंश भी हैं, उनके अभिभाषण से कहीं जाहिर नहीं हुआ। अब जो हमारे सामने अभिभाषण की प्रति दी गई है—यह उससे भिन्न है और इसमें बहुत से और तथ्य हैं जो माननीय राज्यपाल महोदय ने नहीं कहे। इसलिये यह पुस्तिका केवल मात्र उसकी सप्लीमेंट्री कापी, या उसकी एक्सप्लेनेट्री कापी के रूप में, या इल्यूसिडेटेड कापी के रूप में हो सकती है, जो कि बाद में भी माननीय सदस्यों के पास पहुंच जायगी। लेकिन सदन पटल पर रखी जाय वह वही कापी रखी जानी चाहिये जो यहां पर राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं........

एक माननीय सदस्य : आप थे नहीं।

श्री माणकचन्द सोगानी : यह बात सही है।

श्री शंकरलाल : सुना सुनाया कह रहे हैं। There is no evidence.

श्री गुमानमल लोढा : राज्यपाल महोदय का अभिभाषण अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में मैंने सुना है।

श्री चन्दनमल बैद : दैट इज नो सुना! वह सुना नहीं है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह आत्मा की आवाज है।

श्री अध्यक्ष : वैसे आपका मोह-ममता तो रही इससे।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : लौ लगी रही।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सम्पर्क तो रखा।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का जिस प्रकार का प्रावधान है संविधान में—यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है कि सारे प्रदेश के सबसे अधिक गरिमा वाले स्थान को सुशोभित करने वाले महामहिम राज्यपाल महोदय को यह नहीं बताया गया कि संवैधानिक परम्परा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की क्या है और इस कारण से एक ऐतिहासिक भूल, हिस्टोरिकल ब्लन्डर, कान्स्टीट्यूशनल हिस्ट्री में हुआ है। मैं समझता हूं कि आज एक डैड लोक आपके सामने प्रस्तुत हुआ है....

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : सबसे बड़ा ब्लन्डर तो आप खुद है न।

श्री गुमानमल लोढा : संविधान के अनुसार मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ल्यूनेटिक की सलाह ली होगी जिससे यह ब्लन्डर हुआ है। लेकिन अब आपके सामने जो स्थिति पैदा हो गई है, उसमें मेरा निवेदन है कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण संविधान की परम्परा के अनसार हुआ नहीं है इसलिए विधान सभा आगे चल नहीं सकती। विधान सभा का प्रारम्भ, विधान सभा का श्री गणेश संविधान.......

एक माननीय सदस्य : यह है मुद्दा।

श्री गुमानमल लोढ़ा : संविधान की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं हुआ है। इस कारण मेरा यह निवेदन है कि यह प्रति सदन पटल पर नहीं रखी जा सकती। जो भाषण उन्होंने दिया, वह क्या भाषण है, किस प्रकार का है उसकी कोई प्रति रखने के लिये न तो प्रस्ताव आपके सम्मुख आया है, न कोई उसकी प्रति, पुस्तिका सदस्यों को वितरित की गई है, न उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में यह माना जायगा कि राज्यपाल महोदय का कोई अभिभाषण संविधान की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं हुआ। इस संदर्भ में मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान की धारा 175 के अनुसार:

"The Governor may address legislative assembly or in the case of a State having a Legislative Council either House of the Legislature of the State, or both Houses assembled together, and may for that purpose require the attendance of members.

The Governor may send messages to the House or Houses of the Legislature of the State, whether with respect to a Bill then pending in the Legislature or otherwise, and a House to which any message is so sent shall with all convenient despatch consider any matter required by the message to be taken into consideration."

मैं निवेदन कर रहा था कि संविधान की धारा 175 और 176 के अनुसार चूंकि यहां पर राज्यपाल महोदय का भाषण नहीं हो सकता है और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अभाव के अन्दर सदन को सम्मन करना, सत्र को आहूत करना, उसके लिये क्या कार्य है, क्या इस सत्र के अन्दर होने के लिये भूमिका है, ये सारी बातें जब तक वैधानिक तरीके से सदन के पटल पर नहीं आती तो मैं समझता हूं कि राज्यपाल ने जो कुछ कहा यहां पर, इस सदन में, वह संविधान के विपरीत है। इस कारण से उसे हम पटल पर नहीं रख सकते और जो यह पुस्तिका वितरित की गई है, मैं उससे सहमत नहीं हूं कि इसे एक्सप्लेनेट्री नोट की तरह से या सप्लीमेंट्री भाषण की तरह या डिटेल्ड भाषण की तरह किसी प्रकार से विचारार्थ लिया जा सके। आखिर इस भाषण पर ही धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद प्रारम्भ होगा और जब तक वह भाषण सदन के पटल पर नहीं है तो आगे की कार्यवाही नहीं हो सकती। तो जो डैड लाक आपके सामने आ गया है उसको कैसे रिजाल्व किया जाये, एडवोकेट जनरल को सम्मन किया जाये, आप इस पर विचार करें और फिलहाल तब तक सदन की कार्यवाही को स्थगित करें।

श्री योगन्द्र नाथ हांडा : और जयप्रकाश नारायण को भी सम्मन किया जाये।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय द्वारा हुआ और जो उनके भाषण की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी गई है उनमें टेक्नीकल खामी अवश्य है। जो संवैधानिक

(श्री लक्ष्मणसिंह)

दृष्टिकोण है उसके अनुसार राज्यपाल का जो अभिभाषण है वह सरकारी पक्ष की रीति और नीति का द्योतक है । सरकारी पक्ष को भी इस संबंध में प्रकाश डालना चाहिये कि आया राज्यपाल का अभिभाषण जो उन्होंने कृपा करके सदन के समक्ष दिया और उनके अभिभाषण की प्रतियां जो वितरित हुई हैं उसमें जो टेक्निकल खामी है, उसमें टेक्निकल असमानता है उस संबंध में क्या सरकार के समक्ष कोई आपत्ति जनक परिस्थिति उत्पन्न होती है या नहीं ।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा जो सदन के माननीय सदस्यों के सामने अभिभाषण दिया गया वह जितनी देर जितने शब्द बोल सके वे ही सही हैं । उसके अलावा जो विस्तृत रूप से कापी सामने रखी गई है वह अवैधानिक है, किसी प्रकार से उचित नहीं है । जो 8-10 मिनिट में भाषण दिया वही हमारे सामने आना चाहिये ।

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बातें पहले भी विधान सभा में हो चुकी हैं । राज्यपाल महोदय ने उस समय भी पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ा था । और रूलिंग भी चेयर की तरफ से यह आई थी कि राज्यपाल ने जो भाषण दिया, यदि वह अस्वस्थ हैं या किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ पाये हैं तो पढ़ा हुआ माना जाना चाहिये ।

कई माननीय सदस्य : यह कहा था कि पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री खेतसिंह : संविधान की धारा 176 के अनुसार वह पढ़ा हुआ माना जाना चाहिये इसलिये राज्यपाल महोदय ने जो भाषण पढ़ा और जो प्रतियां हमने आपको दी हैं उसमें विपरीतता किसी प्रकार की नहीं है । इसलिए सारा भाषण पढ़ा हुआ माना जाना चाहिये ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या राज्यपाल महोदय ने ये शब्द कहे कि इसको पढ़ लिया हुआ माना जाये ?

श्री अध्यक्ष : सभी राजनैतिक दलों का मत आ गया इसमें ।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : (श्री गुमान मल लोढ़ा के खड़े होने पर) ये तो चेम्बर में बैठे थे अगर इनको कापी नहीं मिली तो दिलाई जाये ।

श्री गुमान मल लोढ़ा : यहां पुरानी रूलिंग का हवाला दिया है, वह कौनसी रूलिंग है, क्या निर्णय दिया गया है, किन परिस्थितियों में दिया गया है, क्या राज्यपाल ने अस्वस्थता जाहिर की थी और उस पर अध्यक्ष महोदय ने विचार करके बाद में निर्णय दिया था या अस्वस्थता प्रिज्यूम कर ली जायेगी कि राज्यपाल महोदय ने इसलिए नहीं पढ़ा ? उन्होंने कहा कि It may be treated as read ऐसा कोई निर्णय पहले आसन की तरफ से दिया गया तो सदन को पढ़ कर सुनाया जाये ताकि हम लाभान्वित हो सकें ।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण अभी विधान

(श्री हरिदेव जोशी)

सभा के सचिव ने टेबुल पर रखने की बात प्रस्तावित की है वह भाषण है अथवा नहीं। इस देश की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के अन्दर यह कोई पहला अवसर नहीं है जब कि जो यहां पर पढ़ा गया है और जो सदन की मेज पर रखा गया है उसके बारे में कोई विवाद हो। अलवत्ता जो पढ़ा गया है और जो लिखा गया है और सदन में रखा गया है वह आपस में कान्ट्रेडिक्ट्री हों तो विवाद पैदा हो सकता है। किन्तु न केवल राजस्थान में बल्कि, हिन्दुस्तान में कई प्रान्तों की विधान सभाओं में अब यह प्रैक्टिस हो गई है कि पूरा भाषण पढ़ा जाये अथवा न पढ़ा जाये, कारण उसके कुछ भी रहे, हमारे यहां पर शालीनता है, हम राज्यपाल को आब्स्ट्रक्ट नहीं करते, एक प्रकार का गरिमामय व्यवहार रखते हैं। इसके लिये सदन के सब सदस्य और विशेष कर अपोजिशन हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। टेक्नीकल स्थिति से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां पर किसी भी जगह राज्यपाल अपना भाषण दे रहे थे, सदन के कुछ सदस्यों ने आब्स्ट्रक्ट किया, वह पूरा भाषण नहीं दे सके और वे उसे अधूरा छोड़ कर सदन से चले गये। उसके बाद में प्रस्ताव आया सदन के समक्ष जैसे आज विधान सभा सचिव ने रखा है, उसी तरह से उस भाषण को वहां पर रखा गया और उसको Taken as read मान कर प्रस्ताव स्वीकार किया गया। मैंने उसको देखा नहीं किन्तु अखबार के कथन मेरे सामने आये हैं। आज से कुछ दिन पूर्व कर्नाटक विधान सभा में इसी प्रकार की चीज हुई, वहां पर भी यह विवाद पैदा हुआ कि वहां के राज्यपाल महोदय ने यह कहा या नहीं कि This may be taken as read, वहां पर पूरा पढ़ा अथवा नहीं। नहीं पढ़ा स्पष्ट था। उसके बावजूद भी अब उसमें यह भी स्पष्ट नहीं है कि जो कम्पलसरी बातें हैं उनको वहां पर कहा गया अथवा नहीं। एक माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पैदा किया कि इस सदन को किस बात के लिये आहूत किया गया, नोटिस दिया गया है अथवा नहीं। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने सदन को आहूत करने के लिये नोटिस दिया था और उसमें उन्होंने सदन को आहूत करने के कारण भी बतलाये थे। ऐसा मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के पास वह नोटिसेज भी पहुंच चुके हैं। इसलिये यह कहना, कि राज्यपाल महोदय ने सदन को आहूत करने का कोई नोटिस नहीं दिया, उचित नहीं है। अब यह मुद्दा आता है सामने कि उन्होंने जो यहां भाषण पढ़ा वह पढ़ा हुआ माना जाय या नहीं। इसके लिये मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछली बार भी एक मर्तबा जब राज्यपाल महोदय अपना भाषण पढ़ रहे थे तो उनको भाषण पढ़ने में कुछ कठिनाई महसूस हो रही थी तो सदन के माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि अगर राज्यपाल महोदय को भाषण पढ़ने में कुछ दिक्कत आती है तो उसको पढ़ा हुआ मान लिया जाना चाहिये। राज्यपाल महोदय के भाषण की प्रति को सदन की टेबल पर रख दिया जाय क्योंकि जो प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है वह चाहे कोई डाक्यूमेंट हो उसे सही माना जाता है और उसे पढ़ा हुआ माना जाता है। यह परम्परा हमारे यहां पर ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में प्रैक्टिस में भी आ चुकी है कि अगर राज्यपाल महोदय,

Page No 6

(श्री हरिदेव जोशी)

अपने अभिभाषण का कुछ अंश पढ़ दें और बाद में उनके अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रख दी जाये तो उसे पढ़ा हुआ माना जाता है, इसलिये इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिये। वैसे इस प्रकार की स्थिति भी स्पष्ट हो चुकी है, अभी कर्नाटक के राज्यपाल महोदय जब अपना अभिभाषण देने आये और वहां पर कुछ परिस्थितियां पैदा हो गई चाहे वह कैसी भी हों उन्होंने अध्यक्ष महोदय से यह कह दिया कि उनके भाषण Should be taken as read इसलिये मैं आशा करता हूं कि यहां पर भी चाहे राज्यपाल महोदय ने यह नहीं कहा हो कि उनका भाषण पढ़ा हुआ माना जाय पर जब उनके अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी तो It is taken to be

श्री केदार नाथ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अभी सदन में कहा है उससे स्थिति स्पष्ट नहीं होती। अगर मुख्यमंत्री महोदय यह मोशन मूव कर देते कि it should be treated as read तो हम उसको एडोप्ट कर लेते। और हमें कोई ऐतराज भी नहीं होता। लेकिन जैसा कि श्री खेतसिंह जी ने फरमाया, राज्यपाल महोदय ने कान्स्टीट्यूशन की धारा 174 के तहत सदन को आहूत किया और उन्होंने जो अभिभाषण दिया वह पढ़ा हुआ माना जाय, यह तो कोई कोगनीजेन्ट और कन्वींसिग रिजरीजन्स नहीं दिये हैं। इसके अलावा, मान्यवर अगर राज्यपाल महोदय को यह आशंका थी कि शायद अपोजिशन वाले डिस्टर्बेंस क्रियेट करेंगे तो वैसी स्थिति भी अभी सदन के अन्दर और बाहर नहीं थी, बहुत पीसफुल एटमोसफियर था फिर क्या डिफिकल्टी थी और अगर वह कह देते कि it is treated as read. यह नहीं कहने से यह एक टेक्निकल फ्ला रह जाता है मगर मुख्य मन्त्री महोदय हाउस में मोशन मूव कर देते कि it is treated as read तो हम उसे एडोप्ट कर लेते अन्यथा यह एक टेक्निकल फ्ला है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान हबिबुल्ला वर्सेस वेस्ट बंगाल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं यह 69 Calcutta weekly page 484, at page 497, जिसका Constitution by Chitaley, at page 294 उल्लेख है।

> "it has been held that the provision under Article 179 (1) is mandatory, so that the legislature cannot function unless the Governor performs his or her duty to make the address."

इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के टेक्निकल फ्ला रहना ही कारण था कि इस प्रकार की असंवैधानिक परम्पराओं के खिलाफ में हाईकोर्ट में चुनौती कान्स्टीट्यूशन की धारा 212 के तहत दी जा सकती है हालांकि उसमें कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लिमिटेड ही है। क्या हमारे लिये यह उचित है कि हम इसकी पहल करें? मैं मुख्य मन्त्री जी की इस बात से सहमत हो सकता हूं कि किन्हीं कारणों से चाहे वह कारण कुछ भी हो शारीरिक अवस्था हो, चाहे भाषण बड़ा होने के कारण पढ़ने में कष्ट होता हो या और कोई कारण हो, पर उन्होंने अपने अभिभाषण को सिर्फ पांच मिनिट पढ़ कर समाप्त कर दिया, यह

(श्री गुमानमल लोढा)

उचित नहीं है। अगर वह यह कह देते कि उनके भाषण को पढा हुआ मान लिया जाय तो अलग बात है। जहां तक सवाल मुख्य मन्त्रीजी के यह कहने का है कि कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ तो वहां पर तो कर्नाटक के राज्यपाल श्री मोहनलाल सुखाडिया ने यह कहा था कि उनका अभिभाषण is to be treated as read लेकिन यहां पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इसके अलावा कर्नाटक की स्थिति तो दूसरी थी वहां उन्हें भाषण पढ़ने ही नहीं दिया तब उन्होंने कहा कि it is treated to be read.

मगर यहां पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा इसलिए मेरा, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करके निर्णय दिया जाय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन में जो यह कहा कि राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है उसे कान्स्टीट्यूशन की दृष्टि से पढा हुआ नहीं माना जाय।

(व्यवधान अश्रव्य)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं अर्ज कर रहा हूं कि यह कहना, कि उनके भाषण को कान्स्टीट्यूशनली एड्रेस किया हुआ नहीं माना जा सकता, तो बात गलत है क्योंकि राज्यपाल महोदय ने सदन में आकर चाहे छोटा भाषण दिया हो चाहे बड़ा भषण दिया हो भाषण तो दिया ही है सो पहला सवाल यहां पर समाप्त हो जाता है कि राज्यपाल महोदय ने कोई भाषण ही सदन में नहीं दिया। भाषण का चाहे उन्होंने एक दो पेज ही पढ़ा हो पर पढा है इसलिये यह पहली हर्डल तो पार हो गयी। अब यह कि उन्होंने जो भाषण पढ़ा या, वह छपा हुआ भाषण, जो सैक्रेट्री महोदय ने सदन की मेज पर रखा है, वही है या अन्य तो मेरा मत यह है कि वह सही है कि गवर्नर साहब ने उस अभिभाषण के दो तीन पेज पढ़े पर चूंकि उनकी आंखें कमजोर होने की वजह से या और कोई कमजोरी की वजह से··

श्री भानुकुमार शास्त्री : भाषा की कमजोरी से नहीं पढ सकते हों।

श्री गुमानमल लोढा : वहां तो सारा ही मामला कमजोर है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि चाहे कोई कमजोरी हो, चाहे वह कमजोरी आंखों के कारण हो या बुढापे के कारण या शारीरिक अस्वस्थता के कारण, पूरा पढने में कठिनाई होती होगी इसलिये उन्होंने पूरा अभिभाषण नहीं पढा होगा। पर यह कहना, कि भाषण ही नहीं पढ़ा उचित नहीं है क्योंकि माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि वह किताब भाषण की लेकर आये थे और भाषण पढ़ते वक्त पन्ने उलट रहे थे तो उन्होंने भाषण तो पढ़ा ही है, अब व्यावहारिक दृष्टि से भी देखें तो यह सही है कि राज्य सरकार ने उनको भाषण की प्रतिलिपि भेंट की और वह प्रतिलिपि राज्यपाल महोदय लेकर आये और उसी में से कुछ अन्श उन्होंने पढ़े और बाद में उस अभिभाषण की प्रतिलिपि हाउस की टेबल पर रख दी गयी। अब थोड़ी टेक्निकल बात यह रह जाती है कि उन्होंने यह नहीं कहा कि उनके भाषण को पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सारी बात टेक्निकल ही है वरना क्या दिक्कत की बात है वह अपने भाषण की प्रतिलिपि वहीं से भेज देते।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, आप और हम सभी इस बात से परिचित हैं उनकी मजबूरी है चाहे बुढ़ापे की वजह से हो या आंखों की कमजोरी की वजह से हो, इसमें तो हम यह देख लें कि जो भाषण उन्होंने दिया वह ओरीजिनल राज्य सरकार का भाषण ही है। उन्होंने जो भाषण दिया उसकी कापी सचिव महोदय ने हाउस की टेबल पर रख दी। इसलिये मैं समझता हूं, कि वह पढा हुआ ही माना जाय।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय इसको सही ढंग से बता सकते हैं। क्योंकि वही राज्यपाल महोदय के पास बैठे हुए थे इसलिये उन्हें पता है कि वह सही है या नहीं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल भाषण के नहीं पढ पाने का है, यह बात सही नहीं है। हमारे राज्यपाल महोदय हिन्दी कम जानते हैं और उनको हिन्दी पढने में थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे हमारे हिन्दुस्तान की 14 भाषायें हैं उनमें से गवर्नर साहब उर्दू और फारसी के अच्छे विद्वान हैं और अंग्रेजी भी काफी अच्छी जानते हैं वह चाहें तो किसी भी भाषा में बोल सकते हैं पर चूंकि हमारे यहां की परम्परा यही रही है कि गवर्नर का एड्रेस हिन्दी में होता है अतः उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। इसके अलावा चूंकि उन्हें एक तो बुढ़ापे के कारण व दूसरे हिन्दी और वह भी क्लिष्ठ हिन्दी पढ़ने में दिक्कत होती है इसलिये हम भाषा के विवाद में न पड़ें। हिन्दुस्तान की जो 14 रीजनल भाषायें हैं उनमें से किसी भी भाषा में वे अपना भाषण पढ़ सकते हैं।

इसके अलावा मैं यह और कहना चाहता हूं कि उन्होंने भाषण तो वही पढ़ा है जिसकी कि किताब उनको दी गयी थी। अब उन्होंने जो भाषण दिया उसके लिये जो कान्स्टीट्यूशनल सवाल उठाया है कि उन्होंने भाषण नहीं दिया, इसे हम भाषण दिया हुआ मानें या नहीं मानें यह हमें देखना है। इसके लिये अध्यक्ष महोदय, आप अपना निर्णय दें, क्या देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : एक सैकिन्ड।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जनसंघ के नेता ने जो रूलिंग सदन के सामने रखी है उससे स्पष्ट जाहिर है कि अगर वह ड्यूटी गर्वनर साहब ने परफोर्म ही नहीं की हो तो वह रूलिंग लागू होती है। ड्यूटी परफोर्म की है। बाकायदा भाषण एड्रेस किया गया है। इसलिये पार्लियामेन्टरी कन्वेन्शन के नाते और फोर्मेलिटी के नाते इसको पढ़ा हुआ मान कर एडोप्ट करना चाहिये।

श्री केदार नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीया जी को कान्स्टीट्यूशन की आथोरिटी मानता हूं इसलिये मैं अपने पोइन्ट ओफ आर्डर को वापिस लेता हूं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : माननीय भारतीयाजी ने जो विचार प्रस्तुत किये हैं

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

उसको देखते हुये मैं भी विड्रा करता हूं। वे कान्स्टीट्यूशन की आथोरिटी हैं।

श्री अध्यक्ष : यह जो प्रश्न सदन के सामने है यह कुछ अंशों में बहुत स्पष्ट है। उससे निर्णय लेने में आसानी होगी। नम्बर 1, राज्यपाल महोदय यहां आये। उन्होंने एक भाषण पढ़ा। नम्बर 2, वे अपने साथ छपा हुआ भाषण लाये और उन्होंने आप सब के सामने मुझे दिया। तीसरी बात, विधान सभा के सचिव महोदय ने वही प्रति, जो उन्होंने मुझे, यहां दी वही सदन के सामने रखी।

जहां तक भाषण को सदन की मेज पर रखने का ताल्लुक है, वह तो रखा जा चुका है। अब प्रश्न यह रह जाता है कि जो यहां रखा गया वह ही भाषण है जो राज्यपाल महोदय ने यहां पढ़ा या उससे भिन्न ? एक बात यह रही। दूसरी यह रहती है कि उन्होंने यहां यह बात नहीं कही कि It should be taken as read तो ऐसी सूरत में वह पढ़ा हुआ माना जायगा या नहीं ?

ये दो बातें सामने आती हैं। यह विषय कोई पेचीदा विषय नहीं लगता है क्योंकि इस सम्बन्ध में कई जगह निर्णय हो चुके हैं। पार्लियामेन्ट में, कुछ लेजिस्लेचर्स में निर्णय हो चुके हैं। अपने यहां भी निर्णय हो चुका है, इससे करीब करीब मिलते जुलते मामले ही हैं।

वैसे तो इस सम्बन्ध में मेरा दिमाग बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन चूंकि यह एक महत्व-पूर्ण विषय है और आगे के लिये भी यह डिटेल डिस्कस हो जाय इसलिये इस सम्बन्ध में लिखित में निर्णय मैं एक दो दिनों में सुना दूंगा। बाकी इस विषय में मेरा इस वक्त इतना निर्णय जरूर है कि यह जो भाषण यहां रखा गया वह वही भाषण है और दुरुस्त है। अब आगे की कार्यवाही शुरू करें।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

सर्व श्री हीरालाल शास्त्री, ललितनारायण मिश्र, रमेशचन्द्र व्यास, भोलानाथ, नरसिंह कछवाहा, धर्मीराम, तेजराज सिंह, हंसराज जटिया, श्यामलाल गोयल, रिद्धिचन्द्र पल्लीवाल, मोटराम चौधरी, एवं श्योदान सिंह के देहावसान पर शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि।

जो नाम शोक प्रस्ताव के रूप में लिये गये हैं उनके अलावा दो नाम और हैं :–

1. राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री हीरालालजी शास्त्री।

2. भारत सरकार के मन्त्री श्री ललितनारायणजी मिश्र।

इन्हें भी उनमें शामिल कर लिया जाय।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : श्री रमेशचन्द्रजी व्यास का भी नाम इसमें और रखा जाय। वे हमारे यहां से फोर टाइम्स लोक सभा के सदस्य थे।

श्री अध्यक्ष : मुझे व्यक्तिशः किसी के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

Page No 10

(10)

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के इतिहास में इतने अधिक व्यक्तियों के लिये शोक प्रस्ताव रखने का यह पहला ही मौका है । पिछले सत्र का अवसान हुआ, उसके बाद में इस सदन के और इसके बाहर के कई व्यक्तियों का देहावसान हुआ है । उससे न केवल इस सदन के माननीय सदस्यों को बल्कि राजस्थान के आम लोगों को काफी मानसिक व्याघात लगा है ।

उन लोगों में श्री हीरालालजी, शास्त्री, श्री एल. एन. मिश्र, श्री रमेशचन्द्रजी व्यास, मास्टर भोलानाथजी, श्री नरसिंहजी कछवाहा, श्री धर्माराम, श्री तेजराजसिंहजी, श्री हंसराज जी जटिया, श्री श्यामलालजी गोयल, श्री रिद्धिचन्दजी पल्लीवाल, श्री मोटारामजी चौधरी, श्री शिवदानसिंहजी हैं ।

अध्यक्ष महोदय, श्री हीरालालजी, शास्त्री राजस्थान के उन लोगों में से रहे हैं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को बदलने की चेष्टा की । वे एक साधारण घर में पैदा हुए । रियासती सरकार की नौकरी में गये किन्तु उन्हें मानसिक संतोष नहीं मिला वहां पर । वे यह चाहते थे कि यह देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो और देश में प्रजातान्त्रिक शासन कायम हो । इसके लिये उन्होंने रियासती सरकार, तत्कालीन जयपुर रियासत की नौकरी से इस्तीफा ही नहीं दिया बल्कि जयपुर रियासत की जनता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिये एक प्रतिनिधि संस्था, जयपुर राज्य प्रजा-मण्डल, की स्थापना की और उसके द्वारा लोक जागरण प्रारम्भ किया । अनवरत संघर्ष किया । अपने आपको खपाया और तब तक शांत होकर नहीं बैठे जब तक कि देश आजाद होकर देश के अन्दर सार्वभौम प्रजातान्त्रिक शासन कायम नहीं हुआ ।

राजस्थान की रियासतों के जंजालों के अन्दर श्री हीरालालजी शास्त्री उन कतिपय व्यक्तियों में से एक के रूप में रहेंगे जिन्होंने अपनी क्षमता भर काम किया, प्रयत्न किया, संघर्ष किया और जनता को संगठित किया ।

अध्यक्ष महोदय, शास्त्रीजी का व्यक्तित्व केवल जयपुर रियासत तक ही सीमित नहीं था, वे पूरे राजस्थान के ही नहीं बल्कि भारत की रियासतों की जाग्रति में माने हुए नेताओं में से एक थे । इसलिये उनके हमारे बीच में से चले जाने से एक बहुत बड़ी कमी हुई है ।

शास्त्रीजी रियासतों के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान देकर गये । उनके सहयोग के कारण से राजस्थान एक हो —इसका एक स्वरूप बना और उसका ही शायद एक परिणाम यह था कि जयपुर राजस्थान की राजधानी बना और वे राजस्थान के प्रथम मुख्य मन्त्री के रूप में चुने गये, नियुक्त किये गये ।

मैं यह कह सकता हूं, अध्यक्ष महोदय, शास्त्रीजी जहां एक तरफ रियासतों में जन-जागरण के अग्रदूत थे वहां शायद पूरे भारतवर्ष में अथवा मैं नहीं जानता कि संसार के अन्दर कहीं कोई ऐसे व्यक्ति पैदा हुए, जिन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया । स्त्री शिक्षा के अन्दर विश्व के कतिपय व्यक्तियों

(श्री हरिदेव जोशी)

में से वे एक होंगे। मैं कह नहीं सकता शास्त्रीजी के इस पक्ष को राजस्थान के और भारत के लोग समुचित ढंग से समझेंगे अथवा नहीं। मेरे मन में कभी कभी यह विचार होता है कि शास्त्रीजी राजनेता पहले थे या समाज सुधारक पहले थे ? हम लोगों में से कई लोगों के उनसे वैचारिक मतभेद रहे हैं। मगर जब हम शास्त्री जी के सामाजिक कार्य की तरफ निगाह उठाकर देखते हैं तो हमारा सिर उनके प्रति स्वाभाविक रूप से झुक जाता है। वनस्थली विद्यापीठ के रूप में महिला शिक्षण का जो कार्य किया है उसका कोई दूसरा सानी नहीं है। शास्त्री के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं तो बाज मर्तबा उनका अहम् का अपना एक स्वरूप सामने आता है। किन्तु मैंने शास्त्री जी को वनस्थली विद्यापीठ और महिला शिक्षण के लिये एक अदना से अदना के दरवाजे पर जाते हुये और इस काम को मुस्तेदी के साथ करते हुये देखा है। तब मन में होता है क्या व्यक्तित्व था वह कि एक तरफ उनका स्वरूप यह था कि कठिन से कठिन काम को किस तरह हल किया और दूसरी तरफ फूल से भी कोमल था उनका शरीर।

शास्त्री जी का व्यक्तित्व अब हमारे बीच में से चला गया है। उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना करता हूं। -

अध्यक्ष महोदय, मास्टर श्री भोलानाथ, श्री रमेशचन्द्र व्यास, श्री नरसिंह कछवाहा, उन लोगों में से हैं जिन्होंने रियासती जागरण के लिये एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। वे उन रियासतों के अगुआ लोगों में से थे जिनको देखकर लोग प्रेरणा पाते थे।

कांग्रेस ने जब सन् 1938 में हरिपुरा में यह फैसला किया कि अखिल भारत में कांग्रेस रियासती क्षेत्रों के अन्दर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी और वहां की जनता को संघर्ष करने के लिये स्वयं को आगे आना है तब ये कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दीवानों की तरह आगे आकर काम किया और एक मिसाल कायम की। अपनी अपनी रियासतों की जनता को प्रेरणा दी और जब तक वे जीवित रहे तब तक वे अपने आपको आजादी के बाद में भी जन कल्याण के कार्यों में खपाते रहे। मास्टर भोलानाथ अलवर से, श्री रमेश चन्द्र व्यास बीकानेर से तथा श्री नरसिंह कछवाहा जोधपुर से उन्हीं लोगों में से थे। इन सब के प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार श्री धर्मा राम, श्री तेजराजसिंह, श्री हंस राज जटिया, श्री श्योदान सिंह, श्री श्याम लाल गोयल, श्री रिद्धि चन्द्र पल्लीवाल, श्री मोटा राम चौधरी इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं। उनका योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। उन लोगों ने हमारे बीच में रह कर इस सदन की गरिमा को बढ़ाया और ऐसा योगदान दिया है जिससे हम हमेशा उनको स्नेह और श्रद्धा से देखा करेंगे। इन सब माननीय सदस्यों के प्रति भी मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं

(श्री हरिदेव जोशी)

अध्यक्ष महोदय, एक और व्यक्तित्व हमारे बीच में उठ गया है वह है श्री ललित नारायण मिश्र। इससे पहले जिन लोगों का उल्लख मैंने किया है उनकी मृत्यु कुछ एक कारणों से हुई जिसे हम स्वाभाविक मृत्यु कह सकते हैं किन्तु श्री ललित नारायण मिश्र की मृत्य असाधारण घटना वश हुई है। जैसा कि यह देश जानता है समस्तीपुर में बम का विस्फोट हुआ और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके साथ साथ और भी दो भाई मरे। अध्यक्ष महोदय, इस मृत्यु ने इस देश के अन्दर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है वह यह है कि क्या हमारा किसी से मतभेद है—चाहे वह आपसी हो, राजनैतिक हो या आर्थिक हो अथवा सामाजिक हो तो क्या उसे इस संसार में से उठा दिया जाना चाहिये? शायद इस देश की सभी राजनैतिक पार्टीज और सामाजिक संगठनों ने श्री ललित नारायण मिश्र की इस प्रकार की मृत्यु के कारण को निश्चित रूप से कन्डैम किया है और इस चीज को बगैर किसी रिजर्वेशन के कहा है, राजनैतिक और सामाजिक मृत्यु को इस देश में स्थान नहीं होना चाहिये।

श्री ललित नारायण मिश्र इस देश के अग्रणी सिपाहियों में से एक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत महत्वपूर्ण काम किये बहुत मुमकिन है कि कई लोगों को, अनेक लोगों को उनके काम की प्रणाली से सन्तोष न रहा हो अथवा उनके विचारों से कई लोगों का मतभेद रहा हो किन्तु चाहे कैसे भी विचार हों-हमारे विचारों से मिलते हो अथवा हमारे विचारों से नहीं मिलते हों-इस देश में हम यह मान कर चलते हैं कि उन मतभेदों को आपसी विचार-विमर्श से और विचारों के आदान प्रदान से हल करेंगे। मेरे राजनैतिक किसी से मतभेद होते हैं तो मेरा अधिकार है कि मैं उसे पब्लिकली कहूं और उन विचारों को प्रकट करने में हिचकूं नहीं। इस देश में अधिकार है कि यदि मतभेद सुलटते नहीं हैं तो वैचारिक और सैद्धान्तिक रूप से विरोध करें। किन्तु जहां वैचारिक रूप से मतभेद सुलटते नहीं हैं तो हम हिंसा का सहारा लें तो देश की प्रजातान्त्रिक प्रणाली को दूषित करते हैं। मैं आज श्री ललित नारायण मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये इसलिये खडा हुआ हूं कि हम राजनैतिक जीवन में और सामाजिक जीवन में किसी प्रकार की हिंसा को अनुचित मानते हैं। मैं श्री ललित नारायण मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये यह आकांक्षा करता हूं कि भगवान उन लोगों को बुद्धि दे ताकि मतभेदों को बगैर हिंसा के मिटा सकें और देश में लोकतन्त्र को जीवित रख सकें। इस प्रकार की हिंसाओं से प्रजातन्त्र कमजोर न हो।

एक बार मैं पुनः सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति मेरी और मेरे दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये इतना ही निवेदन करूंगा कि श्री हीरालाल जी शास्त्री राजस्थान के और देश के एक चोटी के नेता थे। उनको मैं खूब अच्छी तरह से जानता था। उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ के रूप में अपने नाम के पीछे एक महत्वपूर्ण और चिरस्मरणीय संस्था छोड़ी है।

(श्री लक्ष्मण सिंह)

अन्य दिवंगत आत्माओं को व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता । केवल इतना ही मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदन के नेता द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उसका सादर मैं समर्थन करता हूं ।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय नेता के द्वारा समस्त दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के प्रस्ताव का मैं पूर्ण रूप से मेरे दल की ओर से समर्थन करता हूं ।

आज यहां पर सदन के प्रथम दिन मिलने के समय, राजस्थान के जो प्रथम मुख्य मंत्री थे वे हमारे बीच में से उठ कर चले गए, उससे हम शोकातुर हैं। श्री हीरा लालजी शास्त्री का सबसे पहला परिचय राजस्थान में जो आन्दोलन राजस्थान के स्तर पर चलाए जाते थे विभिन्न रियासतों के अन्दर उनमें एक प्रमुख नेता के नाते आया था । राज्यों के एकीकरण में लोहपुरुष सरदार पटेल को राजस्थान में समर्थन व महत्वपूर्ण योगदान जिन्होंने दिया उनमें स्वर्गीय श्री हीरा लाल जी शास्त्री, लोकनायक श्री जय नारायण व्यास आदि प्रमुख व्यक्ति थे । श्री शास्त्री जी केवल राजनीति में ही शास्त्री नहीं थे बल्कि शिक्षा शास्त्री के रूप में उनका राजस्थान के जन मानस के ऊपर, आने वाली पीढियों के ऊपर हमेशा के लिये ऐतिहासिक प्रभाव रहेगा । वनस्थली विद्यापीठ जैसा श्री शास्त्रीजी का जीता जागता स्मारक चिरकाल तक रहेगा जिससे प्रेरणा लेकर आने वाले समय में भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्त्ताओं को एक महान अनुभूति और प्रेरणा मिलेगी । वनस्थली विद्यापीठ विशेष तौर से महिला शिक्षा जगत में एक अभूतपूर्व संस्थान है। यह संस्थान उनके जाने के पश्चात् भी अधिक गति के साथ में फले फूले, यह राजस्थान सरकार और हम सब का दायित्व है और सच्ची श्रद्धांजलि शास्त्रीजी को यही होगी कि वनस्थली विद्यापीठ का और व्यापक रूप से विस्तार किया जावे, बहुमुखी तरीके से वहां पर विद्या अध्ययन की सभी प्रकार की सुविधायें दी जायं और राज्य सरकार सब प्रकार का सहयोग उसको प्रदान करे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री. मोटा राम चौधरी का राजस्थान के पिछड़े इलाके में से किसान नेता के नाते अभ्युदय हुआ । सबसे पहले वे प्रथम चुनाव के अन्दर राजस्थान के एक किसान क्षेत्र से चुन कर के आए और उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र किसान वर्ग में ही प्रमुख तौर पर रखा । वे कर्मठ कार्यकर्त्ता थे और इस नाते उस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे ।

अध्यक्ष महोदय, आज समस्तीपुर बम काण्ड के पश्चात् हम यहां पर विधान सभा में पहली बार मिल रहे हैं और सदन के माननीय नेता ने जो भावना प्रगट की मैं और मेरे दल के साथी पूर्णतया सहमत हैं कि राजनीति के क्षेत्र में हिंसा के दौर की सब स्तर पर भर्त्सना की जानी चाहिये । संविधान और जनतांत्रिक परम्पराओं में विश्वास रखने के कारण समस्तीपुर बम काण्ड में जो हमारे देश के रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र का आकस्मिक देहावसान हुआ वह हम सब के लिये इस बात के लिए, शिक्षा देने के लिये एक चुनौती है कि जहां कहीं भी राजनैतिक क्षेत्र में हिंसा को प्रोत्साहन मिलता है तो उसको रोकना चाहिये ।

(श्री गुमानमल लोढा)

अध्यक्ष महोदय, श्री मिश्रा गत लोक सभा के अधिवेशन के समय विवादास्पद व्यक्तित्व के रूप में देश के राजनैतिक क्षितिज के ऊपर उभर करके आए थे। परन्तु कितने ही आपस में विचार-भेद हो सकते हैं, मत-भेद हो सकते हैं लेकिन हमारे आपस में किसी प्रकार का मन-भेद न हो और किसी प्रकार व्यक्ति के विशिष्ठ व्यक्तित्व के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना होने के लिए राजनीति में स्थान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह दुर्घटना हुई समस्तीपुर बम काण्ड की, मैं समझता हूं कि हमारे देश के अन्दर पहले भी कई इस प्रकार की दुर्घटनायें हुई हैं किन्तु उन दुर्घटनाओं से हमने शिक्षा नहीं ली। और यह दुर्घटना समस्तीपुर में हुई। मैं अपनी और अपने दल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, हिंसा के इस दौर की भर्त्सना करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि मिश्रा चाहे अपने जीवन काल में कितने ही विवादास्पद रहे हों परन्तु जिस प्रकार से उनका देहावसान हुआ वह हमारे लिए खेद की बात है, राजनैतिक क्षेत्र के समस्त कार्यकर्त्ताओं, चाहे वह किसी भी दल में हों या किसी भी प्रकार से कार्य करते हों, के लिए लज्जा जनक स्थिति है। आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते समय इस बात का संकल्प करें कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृति न हो यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, इसका कारण कौन था, कौन उसमें अपराधी था, सी. बी. आई. की इंक्वायरी के बीच एक आयोग भी केन्द्र की ओर से बैठाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस कारण की जांच करेंगे। लेकिन चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कारण हो, इसमें दो मत नहीं हो सकते कि हिंसा के द्वारा राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को यदि समाप्त किया जाता है तो वह सबसे जघन्य अपराध है। इस कारण से, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय नेता के द्वारा जो भावना व्यक्त की गई है उसके साथ शत प्रतिशत सहमत हूं और इन समस्त दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि संतप्त परिवारों को इस समय, इनकी मृत्यु के पश्चात्, इनके उठ जाने के बाद ऐसे वज्राघात को सहन करने की शक्ति दे।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। साथ ही मैं उन सज्जनों, जिनके साथ में मेरा वास्ता रहा, के लिए दो शब्द सदन में रखना चाहूंगा।

माननीय हीरा लाल जी शास्त्री, नरसिंह कछवाहा और मास्टर भोला नाथ ने स्वतंत्रता संग्राम के समय में रियासती संभाग के अन्दर बहुत ज्यादा प्रेरणा देने वाले कार्य किए। बराबर शास्त्री जी का बीकानेर जाना, किसानों को प्रोत्साहन देना, किसानों को प्रजामण्डल की तरफ खींच कर लाना, राजशाही व सामन्तशाही के बरखिलाफ लोगों को एकत्रित करना, उनके यह कार्य निरन्तर याद आते हैं। साथ ही नरसिंह कछवाहा ने जोधपुर के अन्दर किसानों के अन्दर काफी काम किया। किसान सभा के अन्दर काफी काम किया।

(श्री मोहरसिंह)
उसके बाद में प्रजा परिषद के अन्दर आ करके काफी से ज्यादा उन्होंने काम किया। इसी तरह से मास्टर भोला नाथ भूतपूर्व बीकानेर व जोधपुर स्टेट के अन्दर प्रोत्साहन दिया करते थे, प्रेरणा दिया करते थे। इन तीनों साथियों के साथ में काफी मेरा गम्भीर सम्पर्क रहा है, काफी से ज्यादा सम्पर्क रहा है। आज उनकी मृत्यु के ऊपर उनके अच्छी तरह से कारनामे याद आ रहे हैं। ऐसी सूरत में उनके सम्बन्ध में दो-चार शब्द यहां पर कह देना जरूरी समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री हीरालालजी शास्त्री के सम्बन्ध में जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा है। हमारे उनसे वैचारिक मतभेद थे किसान सभा के रूप में कार्य करने के बारे में। सिवाणा में लेवी का विरोध किया था और उस पर किसानों के ऊपर गोली कांड हुआ था। काफी किसान मारे गये थे। काफी विरोध जाहिर किया गया था। लेकिन उसके बावजूद उनके अन्दर जो गुण थे उनको हमें लेना चाहिये। कर्म निष्ठा जितनी हीरालाल जी शास्त्री में थी वह कहीं देखने को नहीं मिलती है। उनकी कर्म निष्ठा का जीता जागता उदाहरण आज हमारे सामने वनस्थली विद्यापीठ है। भारतवर्ष में स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है। यही उनकी कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण है। मुझे उनकी एक बात अक्सर याद आती है। वे हमसे कहा करते थे, हमारे बुजर्गों की गाढ़ी कमाई पर हम कब तक मौज उड़ायेंगे। यह उनकी बात आज तक मुझे याद आती है, तुम कुछ नया काम कर दिखाओ। आगे बढ़ कर काम करो। बुजुर्गों की जो कमाई है उस पर कब तक काम चलेगा। उनके सम्पर्क में आने पर यह बात स्पष्ट हो जाती थी कि उनमें काम करने की जबर्दस्त शक्ति थी। शास्त्री जी के नजदीक सम्पर्क में मैं रहा हूं। मैं उनके इस दुःखद अवसान पर मेरी ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

समस्तीपुर बम कांड में हमारे रेल मंत्री का देहावसान हो गया। वास्तव में यह दुःखद घटना है। कितना ही वैचारिक मतभेद हो, इस प्रकार से राजनैतिक नेता की हत्या करना गलत है। और यह गलती है इसको किसी प्रकार से ठीक नहीं कहा जा सकता।

मैं इन सारी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही शोक संतप्त परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री केदार नाथ : इसमें गोयल साहब का नाम रह गया है।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास इनका नाम आ गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो शोक प्रस्ताव उन महानुभावों के सम्बन्ध में, जो कि इस अर्से में दिवंगत हुए हैं जिनका कि देहावसान हो गया है, रखा है, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री हीरालाल शास्त्री न केवल राजस्थान के प्रथम मुख्य मंत्री थे परन्तु वास्तव में जैसा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है, वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान में जन जागरण का कार्य किया है, राजस्थान को सामन्तशाही से मुक्ति दिलाने का कार्य किया है और राजस्थान को एक सूत्र में बांधकर उसे वर्तमान स्थिति में लाने का जिनको श्रेय था उनमें श्री माणिक्य लाल जी वर्मा, श्री जय नारायण जी व्यास और श्री हीरा लालजी शास्त्री प्रमुख थे। ये ही महान् तीन हस्तियां थी जिनको कि राजस्थान को मौजूदा शेप में लाने का श्रेय है। हीरालालजी शास्त्री न केवल राजनैतिक नेता थे वरन् गांधी जी के रचनात्मक कार्य को अमली रूप देने वाले नेता भी थे और उन्होंने अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति के जरिये वनस्थली विद्यापीठ खड़ी की और इस प्रकार से देश की सेवा की। यह न केवल राजस्थान की बल्कि तमाम देश की सेवा है। मैंने देखा है कि हर प्रान्त की लड़कियां इस संस्था में आकर पढ़ती हैं और इसके लिए हमें गौरवान्वित होना चाहिये। हिन्दुस्तान में शायद इसके मुकाबले कोई शानदार संस्था, शांति निकेतन के अतिरिक्त, नहीं है। यही नहीं बंगाल से भी लड़कियां यहां पर शिक्षा प्राप्त करने के लिये आती हैं। मुख्य मंत्री नहीं रहने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन, पूरा ध्यान इस शिक्षण संस्था को उन्नत और सफल बनाने की ओर लगाया। यह उनकी कार्य के प्रति लगन को जाहिर करता है। मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इसके अतिरिक्त मास्टर भोला नाथ हमारे अलवर जिले में ग्राम मंडल के नेता थे, प्रजा मंडल की स्थापना करने वालों में प्रमुख थे और अलवर जिले में ही नहीं बल्कि राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों में भी उन्होंने जाकर देशी रियासतों में जन जागरण किया और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा लिया है। आजादी के बाद इस सदन के सदस्य के नाते ही नहीं बल्कि मंत्री रह कर इस सदन की सेवा करने का उन्हें अवसर मिला। पार्लियामेंट के भी वे सदस्य रहे और अन्त तक रहे। वे साधारण घर में पैदा हुए उसके बावजूद भी वे निरन्तर देश सेवा, जनता की सेवा में लगे रहे।

श्री रमेश चन्द्र व्यास, भीलवाड़ा, राजस्थान के गिने चुने श्रमिक नेताओं में से थे। वे भी इस बीच हमारे बीच में से उठ गये। उनकी जो सेवायें राजस्थान के आन्दोलनों, राजस्थान को सामन्तों से मुक्ति दिलाने के आन्दोलनों में रही है वह राजस्थान के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। राजस्थान के श्रमिक आन्दोलन में भी उनकी भूमिका प्रमुख रही है

मैं इन महानुभावों को अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री नरसिंह कछवाहा से भी मेरा निकट का सम्पर्क रहा है। विशेष तौर से जब कि वे पहले मंत्रीमंडल में राजस्व मंत्री थे, उनसे एक दो बार भेंट करने का मुझे अवसर मिला है। वे एक साधारण किसान घराने में जनमे किन्तु जोधपुर के अन्दर प्रजामंडल के जरिए जिस तरह से राजाशाही के खिलाफ आन्दोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, वह राजस्थान के इतिहास में चिर स्मरणीय रहेगा। एज ए मिनिस्टर भी उन्होंने राजस्थान के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

निर्माण में पूरा योगदान दिया है। उनके लिये भी मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

जो हमारे दूसरे साथी हैं श्री धर्माराम, श्री तेजराज सिंह, श्री हंसराजजी जटिया, श्री श्याम लालजी गोयल, श्री रिद्धिचन्द्रजी पल्लीवाल श्री मोटाराम जी चौधरी एवं श्री शिवदान सिंह जी, इन से मेरा निजी सम्पर्क नहीं था लेकिन इस सदन में उनकी भूमिका रही है इस सदन में उनका योगदान रहा है। उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही ललित-नारायण जी मिश्र, रेलवे मंत्री, जिनका भी इस शोक प्रस्ताव में जिक्र आया है, बम काण्ड में जिनका कि देहावसान हुआ है, के सम्बन्ध में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। वास्तव में जिस प्रकार राजनैतिक मतभेदों के कारण उन पर बम डाल कर उनकी हत्या की गई है वह राजनैतिक लोगों के लिए न केवल लज्जा की बात है बल्कि घोर चिन्ता की बात है। सिर्फ दुःख व चिन्ता ही हो और यह चिन्ता अगर केवल उसको आकस्मिक घटना मान कर करें और उसको भूल जाने के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करके अपना कर्तव्य समाप्त होना समझ लें तो यह उचित नहीं होगा। वास्तव में, अगर हम यह चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो, अगर वास्तव में हम यह चाहते हैं कि राज-नैतिक मतभेद विचारों और दलीलों से दूर हों, राजनैतिक मतभेदों का हल गोली और बम से न हो तो बहुत से लोगों को निश्चित तौर पर अपने बुनियादी तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों का और मन्थन करना पड़ेगा और उनको अपने उद्देश्यों के सम्बन्ध में, अपने कार्यों के सम्बन्ध में, अपने तौर तरीकों के सम्बन्ध में निश्चित तौर पर विचार करना होगा।

ललित नारायणजी मिश्र का जो एक केन्द्रीय मंत्री के नाते अपना कार्य था वह एक प्रश्न था और विवाद का भी प्रश्न था परन्तु जिस तरीके से यह सारी घटना हुई वह बहुत ही दुःखद भी है, गम्भीर है और चेतावनी देने वाली भी है। इन्हीं शब्दों के साथ उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री **रामकिशन** (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिन सदन के भूतपूर्व माननीय सदस्यों और सदन के बाहर के नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है उसका मैं समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब की बार सदन जिस हालत में मिल रहा है और सदन में जितने भूतपूर्व माननीय सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं वह अपने आपमें खुद काफी बड़ी और गम्भीर दुःखदायी घटना है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय शास्त्रीजी, माननीय भोला नाथ जी, श्री रघुवर दयालजी गोयल व श्री रिद्धिचन्दजी पल्लीवाल से कई लोग परिचित थे। जब आजादी की लड़ाई देश में चालू हुई और रियासतों में जब जनता के अधिकारों का निरन्तर तिरस्कार किया गया उस समय हीरालालजी शास्त्री हम लोगों के बीच देशी लोक राज्य परिषद् के सचिव की हैसियत से आया जाया करते थे। उनका अनुशासन, काम करने की शैली और देश का

(श्री रामकिशन)

आगे बढ़ाने की लगन से हम लोगों ने काफी दिनों तक प्रेरणा ली है। उसके बाद किसी कारण से वे राजनीति से हट गये या हटा दिये गये, उसके बावजूद राजस्थान के विकास और राजस्थान के कल्याण के प्रति उनकी जो रुचि थी वह काफी थी। जब कभी वे स्वस्थ होते थे और जयपुर आया करते थे तो अक्सर हम लोगों को बुलाया करते थे और चर्चा किया करते थे। तो मैं इन सभी दिवंगत माननीय सदस्यों के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक श्री ललित नारायण मिश्र का सम्बन्ध है उनकी हत्या किन कारणों से हुई, किसने हत्या की और हत्या के परिणाम क्या निकलेंगे देश की राजनीति में इसके बारे में तो आज कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि आज ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहिए और न लाभ उठाने की प्रवृत्ति पैदा होनी चाहिए, लेकिन एक बात सोचने की है, देश में हिंसा का वातावरण जो बन रहा है उस पर सभी पक्षों को सोचना पड़ेगा कि वे क्या कारण हैं? उन कारणों को दूर नहीं किया गया और एक चीज से लाभ उठाने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा कि एशिया के जितने मुल्क हैं उनमें राजनैतिक हत्याओं की चाहे वह वर्मा से शुरूआत हुई हो उसके बाद में कई देशों में इस प्रकार से राज नेताओं की हत्याएं की जा रही हैं। यह सारे एशिया के मुल्कों के सोचने का सवाल है और जहां पर लोकतन्त्र परिपक्व नहीं है वहां पर यह हो रहा है, बर्मा में यू नू साहब का हुआ है, पाकिस्तान में हो रहा है और यह सिलसिला निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इस पर हिन्दुस्तान के सभी राजनीतिज्ञों को एक दूसरी दृष्टि से सोचना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इसके कहने की यहां पर आवश्यकता नहीं है कि किस राजनैतिक कारण से हत्या की गई है और हत्या से राजनैतिक लाभ हो जाता है, ऐसी सम्भावना से मैं इन्कार करता हूं। मैं समझता हूं कि कोई लाभ नहीं होने वाला है। राजनीति जब तक है तब तक मतभेद वगैरह रहेंगे। इन दोनों सम्भावनाओं को स्वीकार करके ही किसी राजनैतिक दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। मुझे श्री ललितनारायण मिश्र कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट हाउस में बिहार के लोकसभा के सदस्यों के साथ मिल गये थे। श्रीमती जमुना सोलंकी भी वहां पर घूम रहीं थीं। उस समय उनसे मुलाकात हुई थी। उस समय जिस तरह का वातावरण था उस सारी स्थिति में कई तरह की चर्चाएं हमने कीं। लेकिन बहुत सी चीजें जिस मृत्यु से जोड़ी जा रही हैं, उस मृत्यु से कोई नतीजा निकालने की कोशिश की जा रही है. मैं समझता हूं कि उससे न कोई लाभ होगा और न लाभ होने की सम्भावना है। हम चाहते हैं कि देश की आन्तरिक राजनीति में हो रही हत्याओं के बारे में सभी दलों को सोचना पड़ेगा और जो यह कहते हैं उनको भी निश्चित तौर से सोचना होगा कि आन्तरिक राजनीति में हिंसा की जो प्रक्रिया है वह पिछड़े हुए मुल्कों की राजनीति के लिए सबसे बड़ा हथियार होगी, दर्शन और विकास के लिए सबसे बड़ी गारन्टी होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन के भूतपूर्व माननीय सदस्यों और सदन के बाहर के

(श्री रामकिशन)

नेताओं के प्रति अपनी और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा के इतिहास में ऐसी श्रद्धान्जलि का प्रसंग अभी तक नहीं आया है जब कि हम 9 भूतपूर्व विधायकों की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हों।

भूतपूर्व माननीय मुख्य मंत्री श्री हीरालाल जी शास्त्री उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा जगत में एक शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया। उत्तर भारत का यह सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है, गुरुदेव रवीन्द्र, पंडित मदन मोहन मालवीय और हीरालालजी शास्त्री ऐसे व्यक्ति रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : एक श्री केशवानन्दजी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और केशवानन्दजी जिन्होंने स्त्री शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में प्रयोग आरम्भ किये, और बड़े सन्तोष का विषय है कि यह प्रयोग, जो उन्होंने वर्षों पूर्व आरम्भ किये थे, के फलस्वरूप शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन कर देने के सम्बन्ध में सरकार अब चिन्तन कर रही है, यह दूरदर्शिता स्वर्गीय हीरालालजी शास्त्री के व्यक्तित्व का परिचायक है। जब स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में कई बातें, कई अटकलें लगाई जा रही थीं, साथ ही साथ जनता जागृत नहीं थी उस वक्त स्त्री शिक्षा के प्रश्न पर इस प्रकार का प्रयोग करना स्वयं में एक बहुत बड़ा काम है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि उन्हीं की वनस्थली में शिक्षा प्राप्त की हुई महिला सदस्या श्रीमती सुमित्रासिंह जिनको स्वर्गीय श्री हीरालालजी अपनी बेटी कहकर पुकारते थे।

श्री अध्यक्ष : एक और भी हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और श्रीमती कमला बेनीवाल का ऐसा कन्ट्रीब्यूशन हमारे सदन को है तो हम अन्दाजा लगा सकते हैं कि भारतवर्ष की कितनी बेटियों ने यहां पर शिक्षा प्राप्त की जिन्होंने अपना परिवार बसाया होगा, परिवार को समुन्नत किया होगा और शिक्षा में आगे बढ़ाया होगा। वह स्वर्गीय हीरालालजी शास्त्री की अमर कृति वनस्थली है। कहते हैं कि राजनेताओं की स्मृति में मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। लेकिन शिक्षा शास्त्री, जिन्होंने जनता की सेवा की है, जिन्होंने स्त्री शिक्षा में नया प्रयोग कर सफल बनाया है, उन व्यक्तियों में हीरालाल शास्त्री का स्थान सबसे ऊंचा है। उनकी स्मृति अमिट है, और उनका स्मारक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे हीरालालजी शास्त्री, जो राजस्थान के निर्माण में नींव थे और जिन्होंने राजस्थान में राजनीति को जागृत किया और साथ में राजस्थान में स्त्री शिक्षा की दिशा की ओर संकेत कई वर्ष पूर्व किया था, जो दृढ़ संकल्पी, साहसी और निष्ठावान थे उनको मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

साथ ही साथ, माननीय अध्यक्षजी, शिवदानसिंहजी, उदयपुर के भूतपूर्व सदस्य विधान सभा एक मौन साधक, समाज सेवी और विद्वान् थे वे महाराणा प्रताप के खानदान से आये हुए थे ऐसे मौन साधक और

(श्री निरन्जननाथ ग्राचार्य)
विद्वान् के प्रति मैं ग्रपनी श्रद्धान्जलि ग्रर्पित करता हूं।

श्री रिद्धिचन्द जी पल्लीवाल के पुत्र, सौभाग्य का विषय है इस सदन के सदस्य हैं श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल से मेरा सम्बन्ध रहा है। वे उस क्षेत्र के मौन सेवाभावी व्यक्ति रहे हैं। उनके प्रति सभी का ग्रादर भाव था। इस सदन में जब कभी भी वे ग्राते तो माननीय सदस्यों के मन में उनके प्रति बड़ा सम्मान रहता। उनके प्रति मैं ग्रपनी श्रद्धान्जलि ग्रर्पित करता हूं।

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, एक ग्रौर नेता श्री रमेशचन्द्रजी व्यास ग्रपने जीवन मे ग्रारम्भ से ग्रन्त तक संघर्ष से जूझते रहे। श्रमिक नेता के रूप में वह झुके नहीं चाहे टूट गये। डौंगरा मर्डर केस में इन्वाल्व्ड हुए-उस वक्त वह क्रान्तिकारी दल में थे। उनके साहस, हिम्मत ग्रौर कुर्बानी करने का वह केस द्योतक है। रमेशचन्द्रजी व्यास स्वयं एक ऊंचे नेता व समाज सेवी थे ग्रौर राजस्थान की राजनीति में उनका ग्रपूर्व सहयोग जीवन के ग्रारम्भ से लगाकर ग्रन्त तक रहा। मैं श्री रमेशचन्द्र जी व्यास के प्रति ग्रपनी श्रद्धान्जलि ग्रर्पित करता हूं।

ग्रध्यक्ष महोदय, श्री एल. एन. मिश्रा की मृत्यु, स्वयं में सारे राष्ट्र को चौंका देने वाली मृत्यु है। ग्रब तक ग्रौर ग्रभी तक एक प्रजातन्त्रीय देश में, प्रजातन्त्रीय पद्धति मे एक विशेष मृत्यु है। प्रजातन्त्रीय पद्धति में सब समस्याग्रों का सर्वोच्च समाधान किया जाता है। मतभेद होने पर एक प्रांगण पर बैठ कर प्रशासनिक समस्याग्रों का हल किया जाता है। ऐसे समय में श्री एल. एन. मिश्रा जी की मृत्यु सारे राष्ट्र को चौंका देने वाली है। ऐसा समझ में नहीं ग्राता है कि हिंसा का कोई स्थान राष्ट्र में हो सकता है। श्री मिश्रा जी ग्रत्यन्त साहसी ग्रौर दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे। उनमें नेतृत्व के गुण थे। बिहार राज्य के वह प्रमुख नेता थे। महात्मा गान्धी की मृत्यु के बाद एल. एन. मिश्रा जी की मृत्यु सारे राष्ट्र को चौंका देने वाली मृत्यु है जो हमें चिन्तन के लिए प्रेरित करती है, जो हमारे सामने एक प्रश्न प्रस्तुत करती है। मैं श्री एल. एन. मिश्रा जी को ग्रपनी हार्दिक श्रद्धान्जलि ग्रर्पित करता हूं।

इसी प्रकार से सर्व श्री धर्माराम, तेजाराम, हंसराज जटिया, भोलानाथ, . . .

श्री रघुनाथ विश्नोई : तेजाराम जी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वह तो जिन्दा है

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : श्री मोटाराम नरसिंह कछवाहा

श्री रघुनाथ विश्नोई : तेजाराम जी जिन्दा हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ग्राप उनको एडवांस में ग्रर्पित कर रहे हैं।

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : Sorry, मैं तो चाहता हूं मेरा शेष जीवन भी वह ले ले जितना भी हो।

मैं इन सभी को ग्रपनी हार्दिक श्रद्धांजलि ग्रर्पित करता हूं ग्रौर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी ग्रात्मा को शान्ति प्रदान करें।

Page No 21

(21)

श्री अध्यक्ष:(श्री झाबरमल सूण्डा के खड़े होने पर) इण्डिपेण्डेण्ट हो चुके।

श्री झाबरमल सूण्डा (फतहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरा किसी से लेन देन नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : लेन तो है, देन नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : निर्दलीय तो महारावल साहब भी हैं। वह बोल चुके हैं। उन्होंने भी दल छोड़ दिया है।

श्री झाबरमल सूण्डा: अध्यक्ष महोदय, श्री हीरालाल शास्त्री राजस्थान के भौगोलिक निर्माता हैं। मैं उनको अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यथानाम तथा गुण:। हीरालाल हीरा और लाल शास्त्री प्रतीक के रूप में जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपनी विद्वत्ता से समाज को आगे बढ़ाने में वनस्थली विद्यापीठ कायम की है। मैं सोचता हूं, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप जब वनस्थली विद्यापीठ निश्चित रूप धारण करेगी उस समय यह हिन्दुस्तान ही नहीं, सारी दुनियां के लिए एक विशेष स्थान होगा; जैसे कि नालन्दा का नाम मिलता है उसी प्रकार से होगा। इसलिए ऐसे वर्ष में जब कि राष्ट्रसंघ की ओर से सारे विश्व में महिला वर्ष मनाने का निश्चय किया गया है और खासतौर से हिन्दुस्तान में पूरे वर्ष तक महिला वर्ष रहेगा, जब श्री शास्त्री जी के बारे में सोचते हैं तो श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है। उनके परिवार को मैं अपनी शुभ कामनाएं भेजता हूं आने वाली परिस्थितियों को सहन करने के लिए भगवान उनको बल दे।

अध्यक्ष महोदय, जो दूसरे माननीय सदस्य रहे हैं, जिन्होंने अपनी वाणी से इस प्रांगण की सेवा की है, उनके प्रति भी मैं आभारी हूं और उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ललितनारायण मिश्र की हत्या एक चौंका देने वाली घटना है। हम सदन में बैठे हुये हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तो इस पर हमको विचार करना है । अध्यक्ष महोदय, इस देश में शान्ति नहीं रहेगी तो क्या होगा? जिन कारणों से उनका निधन हुआ है, वह दरअसल विचारणीय प्रश्न है । मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सारे राष्ट्र का आह्वान करता हूं कि जनतन्त्र को कायम रखने के लिए हिंसा को दूर रखना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, श्री रमेशचन्द्र जी व्यास, ने राजस्थान के मजदूर वर्ग के लिए जो कुछ किया है, वह एक तरह से अनुकरणीय है। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री हरिदेव जोशी: अध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त खेद है कि श्री रघुवरदयाल गोयल का नाम इसमें जुड़ने से रह गया है। इसी तरह से मास्टर आदित्येन्द्र का नाम··

कई माननीय सदस्य: मास्टर आदित्येन्द्र नहीं····

श्री हरिदेव जोशी : Sorry !

एक माननीय सदस्य: आप पर भी आचार्य जी का असर पड़ गया है?

श्री हरिदेव जोशी: मैं निवेदन करूंगा कि श्री रघुवर दयाल गोयल का नाम इसी प्रकार से इसमें जोड़ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: सदन के जिन माननीय सदस्यों ने श्रद्धांजलियां अर्पित की हैं, जो उनके बारे में कहा है, मैं उनको दुहराना आवश्यक नहीं समझता हूं। मैं उन सभी भावनाओं में, जो आपने व्यक्त की हैं, अपने आपको शामिल करता हूं। कुछ शब्द मैं अवश्य कहना चाहूंगा। श्री हीरालाल जी शास्त्री के बारे में मैं यह मानता हूं कि राजस्थान के इतिहास में ही नहीं भारत की आजादी के इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा। भूतपूर्व जयपुर रियासत में श्री अर्जुनलाल सेठी के बाद अगर किसी ने जन-जागरण का बिगुल बजाया, राज्य में धड़ल्ले से काम किया तो मैं श्री हीरालाल शास्त्री का नाम लूंगा। वे राजस्थान के चार महान् व्यक्तियों में से थे। वे बहुगुणी प्रतिभा के धनी थे। नेता भी थे, लेखक भी थे। पत्रकार भी थे, शिक्षक भी थे, प्रशासक भी थे और क्या नहीं ...

श्री रामानन्द अग्रवाल: कवि भी।

श्री अध्यक्ष: और कवि भी। एक बात आप देखेंगे कि रचनात्मक कार्यकर्ता और राजनैतिक कार्यकर्ता ये दो गुण एक साथ बहुत कम मिलते हैं। श्री हीरा लाल जी शास्त्री उच्च कोटि के राजनेता रहे इसमें दो राय की बात नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य किया वह भी अद्वितीय था और उसके बारे में जैसा माननीय सदस्यों ने बतलाया, वह बेमिसाल थे, क्या रचनात्मक दृष्टि, क्या काम की दृष्टि, क्या राजनैतिक दृष्टि, क्या सामाजिक दृष्टि–इन सब दृष्टियों से उनका काम इतना है, इतना कर्ज हमारे देश और समाज पर उनका है कि उससे उऋण होना मुश्किल है। उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैंने उनको दूर से भी देखा है और नजदीक से भी देखा है। राजस्थान में वर्तमान मुख्य मंत्री छठे मुख्य मंत्री हैं। इनके पहले पांच मुख्य मंत्री और हो चुके हैं। सब एक से एक गुणवान, कुशल अच्छे प्रशासक रहे, लेकिन उनमें हर एक में अपनी अपनी कुछ विशेषता थी, कुछ गुण हर एक में अपना अपना ऐसा था जो उभर आता था, ऊपरी स्तर पर आ जाता था, और उनको औरों से बाज वक्त अलग करने में कुछ सहायता देता था। चुनाव के बाद पहले मुख्य मंत्री बने टीकाराम पालीवाल। कहा जाता है कि वे एक दृढ़ संकल्प, दृढ़ विचार के और मजबूत मुख्य मंत्री थे।

एक माननीय सदस्य: हैं।

श्री अध्यक्ष: मुख्य मंत्री तो थे। उसके बाद सम्माननीय जयनारायण जी व्यास आते हैं, वे एक आदर्शवादी और बड़े भावक मुख्य मंत्री थे। उसके बाद सम्माननीय श्री सुखाड़ियाजी आये। वे नीति कुशल और व्यवहार विशारद मुख्य मंत्री थे। उसके बाद सम्माननीय बरकत साहब आये। वे एक बड़े नेक हजरत मुख्य मंत्री थे। और इन सबसे पहले जो हीरालाल जी शास्त्री मुख्य मंत्री हुए, वे अपने अन्दाज के एक ही मंत्री थे, मुख्य मंत्री थे। वह नमूना ढूंढना बड़ा मुश्किल है उनमें आत्म अभिमान, आत्म गौरव बहुत था। बहुत से लोग उस आत्म अभिमान को

(श्री अध्यक्ष)

अहंकार भी कह सकते हैं। आत्म अभिमान में और अहंकार के बीच में बहुत झीनी चादर हैं। एक एक का अलग अलग इन्टरप्रिटेशन निकाला जा सकता है। मैं उस स्थिति को आत्म अभिमान मानता हूं। तो हीरालाल जी एक आत्म अभिमानी और हैंकड़ चीफ मिनिस्टर थे। मैंने देखा है कि वे मुड़ते बहुत कम थे। छोड़ने को तैयार थे, एण्ड होने को तैयार थे, मेण्ड होने को तैयार नहीं थे, केन्द्र से जो भी उच्च सत्ता थी। उससे भी डरते वरते तो नहीं थे, उससे भी लड़ने को तैयार थे, बाज वक्त लड़ भी लिये मेरी जानकारी में हैं बहुत से वाकये। वह अपने अन्दाज का, वजा का, अपने ढंग का एक अनोखा मुख्य मंत्री था।

उसके बाद ललित नारायण जी मिश्र, जो भारत सरकार के रेल मन्त्री थे, एक उदीयमान मन्त्री रहे, स्वतन्त्रता सेनानी रहे, कुशल प्रशासक रहे और बहुत तरह के कष्ट और यातना भोगी जेल में।

इसी तरह से रघुवर दयालजी गोयल। असल में जितने यह नौ और तीन, बारह नाम हैं, सभी से मेरा व्यक्तिशः सम्बन्ध भी रहा, कई से बहुत नजदीकी भी रहा है, लेकिन वैसे सभी से थोड़ा बहुत सम्बन्ध रहा है, उन सबसे। रघुवर दयाल जी गोयल बीकानेर रियासत के रहने वाले थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत तकलीफें उठाई, बहुत यातनायें झेलीं, बहुत कष्ट भोगे। वे जब शास्त्री जी मुख्य मंत्री थे, तो राजस्थान के मन्त्री भी रहे। अभी उनका देहान्त हुआ, उसका हमको बहुत खेद है।

इसी तरह से रमेशचन्द्र जी व्यास, भीलवाड़ा का भी स्वतन्त्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे इन्टक के और श्रमिक नेता थे। इसी काम में वे शुरू से रहे और आखिरी वक्त तक इसी काम में रहे। आपका भी देश पर बहुत बड़ा उपकार है।

इसके अलावा कुछ और हमारे सदन के माननीय सदस्य रहे। मास्टर भोलानाथ जी अलवर राज्य के अन्दर उन लोगों में से हैं जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया, तकलीफें उठायीं, कष्ट उठाये। मुझे भी उनके मन्त्रित्व काल में उनके साथ रहने का मौका मिला। उससे पहले भी देखने का मौका मिला, और उनको संसद सदस्य की हैसियत से भी देखने का मौका मिला, और इस सदन के सदस्य की हैसियत से कई कमेटियों के चेयरमैन थे, एस्टीमेट्स कमेटी के चैयरमैन थे–उस रूप में भी देखने का मौका मिला। एक बहुत सुलझे हुए, बहुत निखरे हुए व्यक्ति भोलानाथ जी थे।

नरसिंह कछवाहा जी गृह राज्य मन्त्री यहां रहे। जोधपुर के रहने वाले थे। उनकी भी समाज सेवा में और राजनैतिक कामों में काफी दिलचस्पी रही है। उनके बारे में काफी कह सकता हूं लेकिन समय के अभाव में मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए।

इसके अलावा कुछ और इस सदन के सदस्य रहे। जैसा आपने बताया, बड़ा दुःख है, आज काफी बडी संख्या में हमारे बहुत से पुराने मित्र जो थे, हमसे विदा हो गये हैं और उनको आज याद कर रहे हैं।

श्री धर्माराम सिरोही सुरक्षित क्षेत्र से प्रथम विधान सभा के सदस्य चुने गये।

Page No 24

(२५

(श्री अध्यक्ष)

आपका जन्म संवत् 1961 में हुआ। आप आर्य समाज के कार्यकर्ता तथा आर्य समाज सिरोही के उप प्रधान एवं नगरपालिका, सिरोही के पार्षद भी रह चुके हैं। आपका व्यवसाय चर्म उद्योग था। आपका देहावसान 16-12-1974 को हुआ है।

श्री तेजराज सिंह कोटा के पीपल्दा निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम विधान सभा के सदस्य चुने गये। आपका जन्म 25 फरवरी, 1928 को हुआ। आपने सीनियर डिप्लोमा तक शिक्षा प्राप्त की। आपका स्वभाव बहुत सरल था एवं आप एक मिलनसार व्यक्ति थे। आपका देहावसान 27-6-1972 को हुआ।

श्री हंसराज जटिया भरतपुर जिले के बाडी निर्वाचन क्षेत्र के प्रथम विधान सभा के सदस्य चुने गये। आप कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में भाग लेते रहे। विधान सभा के सदस्य चुने जाने से पूर्व आप अर्जीनवीसी का कार्य करते रहे थे। आपने नवीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री श्यामलाल जी गोयल सवाई माधोपुर के नादोती क्षेत्र से प्रथम विधान सभा के सदस्य चुने गये थे। आपने आगरा विश्व-विद्यालय से एम. ए. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की व एलएल. बी. की डिग्री भी हासिल की। आप गंगापुर बार एसोसियेशन के वर्षों तक अध्यक्ष रहे। आपने दहेज प्रथा एवं अन्य कुरीतियों को बन्द कराने में सक्रिय प्रयास किया।

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल। आपको हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू और गुजराती का साधारण ज्ञान था। आप प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ विधान सभा के सदस्य रहे। आप गंगापुर प्रजामण्डल व तहसील कांग्रेस गंगापुर के अध्यक्ष रहे। आप प्रसिद्ध व्यवसायी थे। आपकी जन सेवा में काफी दिलचस्पी रही है, तो काफी आपने जन सेवा गंगापुर, सवाई माधोपुर इलाके में की है। रिद्धिचन्द पल्लीवाल जी से आप सभी परिचित हैं। जितने मिलनसार थे, उसकी मिसाल भी ढूंढने से नहीं मिलती है। इतने स्नेही थे और इतनी उनमें सादगी थी····

श्री केदार नाथ : शतरंज के बडे अच्छी खिलाडी थे।

श्री अध्यक्ष : शतरंज के अच्छे खिलाड़ी थे।

श्री मोटाराम चौधरी प्रथम विधान सभा के बाडमेर जिले के सिवाना क्षेत्र के सदस्य रहे हैं। आपका जन्म सम्वत् 1975 में हुआ। आप सन् 1946 में किसान सभा के अध्यक्ष रहे और आप स्वयं भी काश्तकार का कार्य करते रहे।

श्री शिवदान सिंह उदयपुर जिले के खमनोर निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम विधान सभा के सदस्य चुने गये थे। आप 1937-40 तक हाई कोर्ट के सदस्य व 1943-45 तक अपील बोर्ड (रेवेन्यू) के सदस्य रहे। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध कमेटी के अध्यक्ष, 1945 में रेडक्रास सोसाइटी के अध्यक्ष और 1948-49 में राजस्थान बेगार समिति के अध्यक्ष रहे। आपको आनरेरी मेजर की पदवी मिली थी। आपका देहावसान 20-1-1975 को हुआ।

Page No 25

25

(श्री अध्यक्ष)

मैं सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब सब दो मिनिट के लिए मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ।

(सदन ने दो मिनिट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की ।)

सदन की कार्यवाही कल प्रात: काल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्ह पश्चात् 1.22 बजे मंगलवार दिनांक 18 फरवरी, 1975 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट

महामहिम राज्यपाल, राजस्थान का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

विधान सभा के इस बजट अधिवेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं।

वित्तीय वर्ष 1974–75 राजस्थान के लिए फिर से प्राकृतिक आपदायें लेकर आया। इस साल मानसून काफी कमजोर रहा। बहुत से इलाकों में बरसात औसत के मुकाबले में कम हुई और जितनी हुई वह भी सब महीनों में बटकर ठीक से नहीं हो पाई। खास तौर से 23 अगस्त के बाद लगभग 5–6 हफ्ते तक सारे राज्य मे ही सूखा मौसम रहा। बाद में अक्टूबर में वर्षा हुई। रबी की फसल का इससे जरूर फायदा हुआ है, परन्तु खरीफ में बहुत बड़े इलाके में फसल बिगड़ गई है। अब तक राज्य के 23 जिलों में अभाव की स्थिति की घोषणा की जा चुकी है। राज्य के कुल गांवों में से 18 हजार 750 गांव अभावग्रस्त किये जा चुके हैं जिनकी मौजूदा जनसंख्या 1.40 करोड़ है। कुछ और मामले अभी विचाराधीन हैं। उनका फैसला हो जाने पर अभाव से पीड़ित आबादी लगभग 1.55 करोड़ हो जायेगी ऐसा अन्दाजा है।

जो लोग कमी की इस चपेट में आ गये हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए रोजगार के साधन जुटाने, पीने के पानी का इन्तजाम करने पशुधन की हिफाजत, एवं बेसहारा लोगों को पेट भरने के लिए साधन मुहैय्या करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आई है।

रोजगार की व्यवस्था करने का काम सबसे अहम है। अब छठे वित्त आयोग द्वारा की गई तजवीज के लागू हो जाने से, 1 अप्रेल, 1974 से केन्द्रीय सरकार ने राहत के लिए मदद देने का तरीका बदल दिया है। ऐसी दशा में जो सीमित साधन राज्य सरकार के हैं एवं जितने और जिस रूप में केन्द्रीय सरकार दे रही है उसी धनराशि का उपयोग करके राहत की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए रोजगार की व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब जहां तक हो सके योजनागत कार्यों को ही सहायता कार्यों के रूप में कराया जा रहा है। छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राहत के कामों के लिए जो 10.19 करोड़ रुपया मार्जिन मनी के रूप में हर साल मिलता है उसके अलावा केन्द्र ने राजस्थान नहर योजना, योजनागत सड़क कार्य एवं बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए वर्ष 1974–75 के लिए 10 करोड़ 24 लाख रुपये की राशि उपलब्ध की है। राज्य सरकार ने भी राहत कार्यों के लिए 1974–75 की प्लान में से 1.00 करोड़ रुपये डायवर्ट किए है। इस तमाम राशि का ठीक से उपयोग करने के लिए व्यवस्था की गई है और बहुत से कामों की मंजूरी दी गई है जो सब योजनागत काम हैं। इसके अलावा निम्न प्रकार के और कामों को भी लिया गया है:—

1. डी.पी.ए.पी. के अधूरे काम,

2. योजनागत लघु सिंचाई काम,

3. वर्ष 1973 एवं 1974 में ग्राई बाढ़ से जिन सड़कों एवं बांधों को नुकसान हुआ उनकी मरम्मत का काम ।

राहत कार्यों के अलावा ऊनी खादी की कताई और बुनाई के काम को भी बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई है। भूमि विकास बैंकों के जरिये सिंचाई के साधनों को फैलाने के लिए भी बड़ी योजना राज्य सरकार ने हाथ में ली है। इन बैंकों को 10.25 लाख रुपये बतौर हिस्सा पूंजी के सहायता मद से दिया गया है। हमारे कीमती पशुधन की हिफाजत के लिए भी कई कदम उठाये गये हैं।

जहां तक पीने के पानी की समस्या का ताल्लुक है आगे गर्मी के महीनों में ज्यादा कठिनाई आवेगी। राज्य सरकार के पास अपने 130 टैंकर हैं इनसे पानी ढोने का काम लिया जायेगा। और भी जरूरत हुई तो ठेकेदारों के जरिए यह काम कराया जा सकता है। मौजूदा में भी कुछ जगह पानी की जरूरत को देखते हुए टैंकरों से ढोया जा रहा है। जो नल-कूप कुछ समय पहले बन्द पड़े थे उनको अब जरूरत को देखते हुए चालू किया जा रहा है। जरूरतमन्द लोगों को पोषक आहार उपलब्ध कराने एवं ऊनी कपड़े देने के बाबत भी राज्य सरकार ने इन्तजामात किये हैं। इस काम में कई स्वयंसेवी संस्थाओं से भी मदद मिली है।

लेकिन इन मुखालिफ हालत के बावजूद पूरे साल राज्य सरकार द्वारा सस्ते अनाज की दुकानों से गेहूं और मोटा अनाज शहरों और देहाती इलाकों से बांटा गया। जैसा कि आपको मालूम ही है यह सरकार राष्ट्रीय खाद्य नीति के अनुसार चलती है। जो कुछ भी अनाज लेवी या और किसी तरीके से इकट्ठा किया जाता है उसे भारत सरकार के केन्द्रीय पूल में दिया जाता है और फिर हर महिने उनके द्वारा दिये गये अनाज को सस्ते गल्ले की दुकानों के जरिये बांटा जाता है। इस साल के शुरू में भारत सरकार से हमें अनाज कम मात्रा में मिला लेकिन धीरे धीरे हमारी जरूरियात को उन्होंने माना और मुनासिब मिकदार में अनाज देना शुरू किया। जो भी मात्रा उनसे प्राप्त होती है उसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि उसे गरीब और कमजोर तबके के लोगों को बांटें। राज्य भर में जिलों के मुख्यालयों और नगरपालिका इलाकों में गेहूं एक निश्चित मात्रा में वितरित किया जाता है। यह उम्मीद की जाती है कि जैसे ही भारत सरकार से और अनाज प्राप्त होगा तो और अधिक इलाकों को गेहूं आदि का बांटना शुरू कर दिया जायेगा।

जैसा मैं कह चुका हूं इस साल वर्षा की कमी की वजह से खरीफ की फसल पर बुरा असर पड़ा। ज्यादातर इलाकों में अनाज की कोई वसूली नहीं की गई। जहां पर सिंचाई की वजह से या ठीक बारिश होने के कारण फसल अच्छी हुई है वहां राज्य सरकार ने किसानों पर लेवी लगाकर धन और ज्वार की वसूली की है। यह भी उल्लेखनीय है कि पहले राज्य में खाद्यान्नों की वसूली व्यापारियों से लेवी लगाकर की जाती थी। लेकिन अब राज्य

सरकार ने एक निश्चित नीति निर्धारित करके उत्पादकों से ही सीधे वसूली की है। आने वाली रबी में भी यही नीति अपनाई जायेगी।

आने वाली रबी की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। हम यह उम्मीद करते हैं कि इस फसल का अनाज उचित मात्रा में इकट्ठा किया जा सकेगा और अनाजों के दाम वाजिब रहेंगे।

अनाज के अलावा राज्य सरकार ने और दूसरी जरूरी चीजें बांटने के इन्तजामात भी किये हैं। चीनी, वनस्पति, केरोसिन आदि की वितरण व्यवस्था सन्तोषजनक है। मोटा कपड़ा, सीमेन्ट और कोयला भी ठीक प्रकार से दिलाया जा रहा है।

1973–74 में पिछले साल के मुकाबले स्टेट इनकम में काफी बढ़ोतरी हुई है। 1954–55 के भावों पर बनाये गये तखमीने से पता लगता है कि 1973–74 में कुल स्टेट इनकम 826 करोड़ रुपये थी जो इसके पिछले साल के मुकाबले लगभग 12 परसेन्ट ज्यादा है। इसी प्रकार पर-केपिटा इनकम में भी बढ़ोत्तरी हुई है जो 1972–73 में 281 रुपये से बढ़ कर 1973-74 में 304 रुपये हो गई जो 8 परसेन्ट से ज्यादा की बढ़ोत्तरी दिखाता है।

पूरे देश में भाव बढ़ रहे हैं उसका असर राजस्थान पर भी पड़ा। 1974 में थोक भावों में गये साल के मुकाबले 55 परसेन्ट की बढ़ोत्तरी देखी गई। इसी प्रकार खुदरा भाव लगभग 29 प्रतिशत बढ़े हैं। फिर भी 1974 के आखिरी महीनों में कीमतें और बढ़ने से रुकी हैं।

1 अप्रेल, 1974 से राजस्थान की पांचवी पांचसाला योजना शुरू हो गई है और 1974–75 इसका पहला साल है। देश में इनफ्लेशन और माली हालात पर पड़ रहे दबाव की वजह से यह कह पाना मुश्किल है कि भारत सरकार से पांचसाला योजना के लिए कितनी सहायता मिलेगी फिर भी यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि राज्य सरकार अपने हिस्से की अतिरिक्त राशि जुटा लेगी। 1974-75 की सालाना योजना फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के टारगेटों को ध्यान में रखकर ही बनाई गई है जिससे इस प्लान के बुनियादी मकसद पूरा करने में मदद मिल सके। हमारी यह कोशिश रहेगी कि छोटे तबकों की माली हालत तेजी से सुधरे और आमदनी के वितरण में असमानता कम हो। गांवों में रहने वाले लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए एक "मिनिमम नीड्स प्रोग्राम" पर अमल शुरू कर दिया गया है जिसके तहत तालीम, पीने के पानी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल हैल्थ, रूरल रोड्स, गन्दी बस्तियों में सुधार, भूमिहीन काश्तकारों को मकान के लिए जमीन और न्यूट्रीशन की स्कीम्स हाथ में ली गई हैं। इस साल इस कार्य क्रम के लिए करीब सोलह करोड़ रुपये रखे गये हैं।

1975–76 फिफ्थ प्लान का दूसरा साल है। अगली सालाना योजना में 105.50 करोड रुपये खर्च करने की व्यवस्था है। यह ख्याल रखा गया है कि राज्य में विकास की गति बनी रहे और पांचवीं योजना अभी तय नहीं हो पाने का असर विकास कार्यों पर नहीं पड़े। यह भी कोशिश की गई है कि आर्थिक कार्यक्रमों पर

ज्यादा पैसा खर्च किया जावे। नतीजे के तौर पर प्लान के कुल आउटले का करीब दो-तिहाई सिंचाई, पावर और खेती पर लगाने की योजना है।

शुरू में बताई वजूहात से इस साल खरीफ में खाद्यान्नों के नीचे कुल रकबा 77 लाख हेक्टेयर ही रहा जो पिछले साल के मुकाबले 22 लाख हैक्टेयर कम है। लाजिमी तौर पर इन फसलों का कुल उत्पादन भी इस साल 36 लाख टन से घटकर अन्दाजन 16 लाख टन रह गया। लेकिन राज्य सरकार द्वारा चलाये गए विशेष अभियान की बदौलत इस रबी में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 42 लाख टन होने की उम्मीद है जब कि पिछली रबी में सिर्फ 31 लाख टन था। इस रबी अभियान के मुख्य पहलू ये हैं :—

1. शार्ट-टर्म कोआपरेटिव क्रेडिट के रूप में 10 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं, जबकि पिछली रबी में सिर्फ 5.50 करोड़ रुपये बंटे थे। इस क्रेडिट का 60 प्रतिशत हिस्सा खाद के रूप में दिया गया है।

2. राजस्थान कैनाल क्षेत्र में 50 हजार एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की गई है और राज्य में 10 हजार से ज्यादा कुओं को बिजली दी गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे जलाशयों से सिंचाई के लिए पानी दिया गया है जो अब तक सिर्फ पीने के पानी के लिए काम में आते थे। नये कुएं खोदने और पुरानों को गहरा कराने का बड़ा प्रोग्राम भी हाथ में लिया गया है।

3. बेहतर तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है और राजस्थान नहर व चम्बल क्षेत्रों में कृषि विस्तार सेवा का व्यापक प्रसार किया गया है।

1975—76 में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निम्न कदम उठाने का इरादा रखती है:—

1. ए. आर. सी. स्कीम्स का बड़ी संख्या में लिया जाना।

2. शार्ट-टर्म क्रेडिट का और अधिक विस्तार।

3. बड़ी संख्या में कुओं को बिजली दिया जाना तथा और तरीकों से सिंचित रकबे में इजाफा करना।

4. इम्प्रूव्ड सीड्स का अधिक प्रयोग यानी खरीफ में 4.92 लाख और रबी में 9 लाख हैक्टेयर में।

5. कृषि-विस्तार सेवा का प्रसार।

राज्य सरकार पिछड़े हुए क्षेत्रों एवं वर्गों के विकास के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना में ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम तथा छोटे किसानों, मार्जिनल किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के विकास के लिए कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। वर्ष 1974—75 में पहले से सम्मिलित 10 जिलों के अतिरिक्त 6 तहसीलों (चिड़ावा, झुंझुनू, ब्यावर, देवगढ़, भीम एवं खेरवाड़ा) को ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है। जोधपुर एवं नागौर जिलों में यह प्रोग्राम विश्व बैंक की विशेष सहायता से क्रियान्वित किया जायेगा और इन दोनों जिलों में 6 करोड़ रुपया प्रति जिला व्यय होगा। बाकी जिलों

में साढ़े चार करोड़ रुपया प्रति जिला व्यय होगा और 6 तहसीलों में प्रति तहसील 30 लाख रुपया व्यय होगा। वर्ष 1974–75 में इस प्रोग्राम पर लगभग 5 करोड़ रुपया व्यय होने की आशा है।

पिछड़े वर्गों में विशेष रूप से उल्लेखनीय अनुसूचित आदिम जाति है। ऐसे क्षेत्र में जहां अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या अधिक है वहां के लिए एक सब-प्लान तैयार किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जाति क्षेत्र के इन्टीग्रेटेड विकास कार्यक्रम हाथ में लिया जायेगा। इस क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार से पंचवर्षीय योजना में 14 करोड़ रुपया मिलने की आशा की जाती है।

कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा जल उपयोग एवं कृषि विस्तार कार्यक्रम में इस वर्ष जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं उनमें विश्व बैंक की मदद से राजस्थान नहर क्षेत्र व चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में जो क्षेत्रीय विकास योजनाएं शुरू की गई हैं, प्रमुख हैं। राज्य सरकार द्वारा 1971 से विश्व बैंक की आर्थिक सहायता के द्वारा इन योजनाओं को अमली जामा पहनाये जाने के लिये जो प्रयास किये जा रहे थे उनकी सफल परिणति 1974 में सम्भव हुई है जबकि मुख्य सचिव की अगुवाई में भेजे गये प्रतिनिधि मण्डल ने विश्व बैंक से सफलतापूर्वक वार्ता कर इन योजनाओं के लिए विश्व बैंक का पूर्ण आर्थिक सहयोग प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।

इन योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान नहर क्षेत्र के लिए 1974–75 से प्रारम्भ होकर कुल 6 वर्षों की अवधि में 139.20 करोड़ व चम्बल क्षेत्र के लिए 73.20 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी। इसमें से राजस्थान नहर के लिए विश्व बैंक से 66.40 करोड़ व चम्बल क्षेत्र के लिए 41.60 करोड़ रुपया इस अवधि में सरल ऋण के रूप में प्राप्त होगा।

राज्य सरकार ने विश्व बैंक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों क्षेत्रों में काम शुरू कर दिया है। इस वर्ष राज्य स्तर पर कमाण्ड एरिया व जल उपयोग विभाग अलग से गठित कर दिया गया है व चम्बल और राजस्थान नहर क्षेत्र अधिकरण अलग स्थापित कर दिये गये हैं जिनकी देखरेख में विश्व बैंक की यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। दोनों क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय विकास आयुक्त नियुक्त किये गये हैं व अन्य आवश्यक अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपलब्ध करा दिये गये हैं।

कृषि भूमि के विकास हेतु इन क्षेत्रों में बैंकों के जरिये किसानों को कर्ज दिये जाने की व्यवस्था की गई है क्योंकि चुने हुए इलाकों में भूमि विकास के कार्यक्रम नियमानुसार आवश्यक रूप से क्रियान्वित किये जायेंगे। यह कर्ज बैंकों को एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कारपोरेशन के जरिये प्राप्त होंगे व कारपोरेशन को यह राशि विश्व बैंक से प्राप्त होगी। कमाण्ड क्षेत्रों में बैंक के जरिये कर्ज वितरण की व्यवस्था को पूरा किये जाने व भूमि विकास काम के लिए राजस्थान भूमि विकास निगम स्थापित किया जा चुका है।

राज्य स्तर पर मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है जो हर दो महीनों में एक बार इन

योजनाओं के तहत हुए काम का जायजा लेगी। इसी प्रकार, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति बनाई गई है।

राजस्थान मुख्य नहर के प्रथम चरण का काम मार्च, 1975 तक बहुत हद तक पूरा हो जायेगा। द्वितीय चरण की मुख्य नहर तथा साथ की एवं कच्ची जल वितरण नहर पर भी मिट्टी की खुदाई का काम शुरू हो चुका है। नौरंगदेसर, रावतसर आदि वितरण नहरों पर भी खुदाई का काम पूरा हो चुका है और उन पर लाइनिंग का काम अभी प्रगति पर है। सूरतगढ़ शाखा प्रणाली का मिट्टी की खुदाई का काम प्राय: पूरा हो चुका है तथा धीरे-धीरे लाइनिंग का काम भी हाथ में है। अनूपगढ़ शाखा प्रणाली का काम भी इसी तरह पूरा हो चुका है और उसकी वितरक नहरों पर भी मिट्टी का काम करीब 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। लूनकरणसर बीकानेर लिफ्ट केनाल व पूगल शाखा (नोशेरा शाखा) पर भी काम अच्छी प्रगति पर है।

वर्ष 1973–74 में इस योजना से 5.60 लाख एकड़ इलाके में सिंचाई की गई जो वर्ष 1974–75 के अन्त तक बढ़कर लगभग 6 लाख एकड़ हो जायेगा। वर्ष 1974–75 में राजस्थान नहर पर 14 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्चा हो जाने का अन्दाजा है। वर्ष 1975–76 में राजस्थान नहर के पहले चरण के काम को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कोशिश की जा रही है जिससे पोंग बांध से मिलने वाले पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके। इसके लिए जरूरी प्रावधान रखने की कोशिश की जा रही है।

व्यास परियोजना के तहत, पोंग बांध पर मुख्य निर्माण कार्य पूरे किये जा चुके हैं तथा इससे रबी 1975–76 से राजस्थान को समुचित मात्रा में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। इसी तरह पण्डोहबग्गी टनल पूरी हो चुकी है और सुन्दरनगर सतलज सुरंग, पण्डोह बांध व पावर प्लान्ट का काम प्रगति पर है।

उपनिवेशन विभाग द्वारा राजस्थान नहर के स्थायी प्रबन्ध के पहले चरण में माह दिसम्बर, 1974 तक कुल मिलाकर 37 हजार 467 लोगों को 5 लाख 73 हजार 161 एकड़ भूमि स्थायी रूप से आवंटित की गई है जिसमें अकेले वर्ष 1974 में 12 हजार 23 लोगों को 1 लाख 35 हजार 623 एकड़ भूमि आवंटित की गई। वर्ष 1974 में भूमि आवंटन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी रही है कि जिस कमाण्ड क्षेत्र के लिए सिंचाई विभाग द्वारा सप्लाई किये गए तक प्लानों के आधार पर भू-अभिलेख तैयार कर लिए गए थे और जिस कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं चालू हो गई थीं उसमें प्रारम्भ से ही स्थायी आवंटन किया गया, गत वर्षों की तरह अस्थायी आवंटन नहीं किये गये।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के भूमिहीन लोगों को विशेष रियायत के रूप में राज्य सरकार ने 17 जून 1974 को यह निर्णय लिया कि भविष्य में राजस्थान नहर क्षेत्र में होने वाले भूमि आवंटनों में नहरों, डिस्ट्रीब्यूटरीज और खालों के मुख पर पड़ने वाली सर्वोत्तम 30 प्रतिशत आराजियात इन वर्गों के

(32)

भूमिहीन लोगों को आवंटित की जायें। इसे मिलाते हुए माह दिसम्बर, 1974 तक कुल मिलाकर 8 हजार 901 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को 1 लाख 23 हजार 737 एकड़ भूमि स्थायी रूप से आवंटित की जा चुकी है।

30 जून, 1974 को समाप्त हुए सहकारी वर्ष में 19 हजार विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियां कार्य कर रही थीं जिनकी सदस्य संख्या 23 लाख थी। राज्य के 41 प्रतिशत किसान परिवार और 95 प्रतिशत गांव सहकारिता के अन्तर्गत लाये जा चुके हैं। राज्य में अल्पकालीन एवं मध्य कालीन कर्ज उपलब्ध करवाने हेतु राज्यस्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक प्राथमिक सहकारी समितियां कार्यरत है। वर्ष 1973–74 में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के जरिए 30 करोड़ रुपये का कर्ज बांटा गया। वर्ष 1974-75 के लिए 37 करोड़ रुपये के अल्पकालीम व मध्यकालीन कर्ज के लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।

केन्द्रीय भूमि विकास बैंक द्वारा राज्य में 35 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जरिये वर्ष 1973–74 में 477.76 लाख रुपये का ऋण बांटा गया। एग्रीकल्चर रिफाइनेन्स कारपोरेशन द्वारा विशेष योजनाएं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से पूरी करवाई जा रही है। 1974-75 के अन्त तक प्राप्त योजनाओं का लक्ष्य 11.36 करोड़ रुपये का था जिसमें से 6 करोड़ 8 लाख रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। लघु कृषक अभिकरण, सीमान्त कृषक एवं कृषक श्रमिक योजनाओं के माध्यम से 30 जून, 1974 तक चुने हुए 5 जिलों में 480.99 लाख रुपये का अल्पकालीन, 95.40 लाख रुपये का मध्यकालीन एवं 277.45 लाख रुपये का दीर्घकालीन ऋण वितरित किया जा चुका है।

अन्त में आपकी तवज्जोह राज्य सरकार की एक विशेष उपलब्धि की ओर दिलाना चाहूंगा जिस पर पिछड़े हुए लोगों की बहबूदी चाहने वाले हर शख्स को गर्व और खुशी होगी। जैसा आपको मालूम है नरोरा में जो फैसले किये गए थे उनमें 15 फरवरी तक गांवाई इलाकों में पिछड़े हुए लोगों को मकान बनाने के लिए जमीन देने का फैसला भी शामिल था। इस फैसले पर तुरन्त अमल करते हुए राज्य के मुख्य मंत्री ने 2 दिसम्बर 1974 को एलान किया कि राजस्थान में 26 जनवरी तक ही गांवाई इलाकों के सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लोगों और अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को आवासीय भू-खण्ड दिये जायेंगे। इसके लिए बड़े पैमाने पर एक कैम्पेन चलाया गया, कानूनों में जरूरी संशोधन किये गये और अधिकारियों को जरूरी अधिकार दिए गए। नतीजतन, 26 जनवरी तक राज्य में 5 लाख 48 हजार 317 ऐसे बेघरों को भू-खण्डों का आवंटन कर दिया गया। इस भागीरथ प्रयास और ऐतिहासिक उपलब्धि के समापन का राज्यस्तरीय उत्सव जयपुर जिले के मनोहरपुर गांव में गत 5 फरवरी को वजीरेआजम श्रीमती इन्दिरा गांधी की सदारत में मनाया जा चुका है।

लेकिन राज्य सरकार ने सिर्फ जमीन देकर ही बस नहीं किया है। भू-खण्ड पाने

Page No 33

33

वालों को मकान बनाने के लिए राजस्थान हाउसिंग कोआपरेटिव फाइनेन्स सोसायटी द्वारा कर्ज भी दिलवाया जा रहा है। 31 मार्च, 1975 तक 15 हजार ऐसे मकानों के लिए कर्ज दे दिये जाने की आशा है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। पशुधन के संरक्षण, उत्थान एवं नस्ल सम्वर्धन हेतु राज्य में पंचायत समितियों, ग्रामाधार योजनाओं, पशु-प्रजनन केन्द्रों पशु चिकित्सालयों आदि के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। डेयरी विकास के कार्यक्रम के साथ-साथ दूध की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये संकर प्रजनन कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है। राज्य में कुक्कुट विकास, मत्स्य विकास, एवं शूकर विकास के लिए भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम हाथ में लिये गए हैं।

राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में भेड़ पालन विकास के लिए डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत चरागाह सुधारने और उसके साथ साथ भेड़ पालन को अधिक लाभदायक बनाने के लिऐ पंचवर्षीय योजना में व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जायेगा। यह कार्यक्रम नागौर एव जोधपुर जिलों में तुरन्त चालू किया जा रहा है। भेड़ों की नस्ल सुधारने और उनसे अधिक ऊन का उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से विदेशी भेड़ों के उपयोग से संकर प्रजनन का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए 554 रूसी भेडें प्राप्त हुई हैं जिन्हें केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म पर रखा गया है।

डेयरी विकास का जो कार्यक्रम हाथ में लिया गया है उसके तहत जोधपुर, बीकानेर व अजमेर में भवन निर्माण व प्लान्ट लगाने का कार्य प्रगति पर है। जोधपुर व अजमेर परियोजनाएं चालू वित्तीय वर्ष में तथा बीकानेर परियोजना आगामी वर्ष के मध्य तक शुरू होने की आशा है। जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, अलवर में प्रारम्भिक दुग्ध योजनाएं गत दो वर्षों से काम कर रही हैं। वर्ष 1974-75 में भीलवाड़ा व जयपुर में भी दुग्ध संकलन का कार्य शुरू किया गया। इस समय इन योजनाओं से लगभग 60 हजार लीटर दूध प्रतिदिन एकत्रित किया जा रहा है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 10 हजार लीटर प्रतिदिन की क्षमता के 6 मिल्क चिलिंग सेन्टर्स स्वीकृत किये गये। ये केन्द्र पोकरन, पाली, बालोतरा, मेड़ता सिटी, लूनकरणसर व सरदारशहर में स्थापित किये जा रहे हैं। पोकरन संयंत्र गत माह प्रारम्भ हो गया है, पाली, बालोतरा व मेड़तासिटी इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक तथा सरदारशहर व लूनकरणसर आगामी वर्ष के शुरू में चालू हो जायेंगे। डेयरी विकास की ये सभी परियोजनाएं सहकारी क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्तमान समय तक 520 समितियों का गठन किया जा चुका है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 2,500 समितियों के गठन का लक्ष्य है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में दुग्ध उत्पादनवर्धन कार्यक्रम अलवर में शुरू किया गया। बीकानेर में यह कार्यक्रम इस वर्ष प्रारम्भ होने की सम्भावना है। बालोतरा व सरदारशहर चिलिंग सेन्टर्स के लिये डी. पी. ए. पी. के तहत इस वर्ष सीमैन बैंक स्वीकृत किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम

(34)

के अन्तर्गत समिति के सदस्यों को संकर प्रजनन, पशु आहार व पशु चिकित्सा की सुविधा दी जायेगी। यह कार्यक्रम पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य परियोजना क्षेत्रों में भी प्रारम्भ किये जायेंगे। प्रदेश के 6 पूर्वी जिलों अलवर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक व सवाईमाधोपुर के लिए विश्व बैंक की सहायता से डेयरी एवं पशु विकास की 41.04 करोड़ रुपये की लागत की योजना के अन्तर्गत पशु प्रजनन, पशु आहार, पशु चिकित्सा एवं प्रसार के सघन कार्यक्रम लिए जायेंगे। साथ ही इन जिलों में डेयरी संयंत्र भी स्थापित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त सूखा उन्मूलन योजना के अन्तर्गत जोधपुर व नागौर जिलों में डेयरी एवं पशु विकास के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

राजस्थान में कृषि जोतों पर सीलिंग कानून लागू होने के पश्चात् नये व पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत 3 लाख 27 हजार 24 एकड़ भूमि को अधिग्रहण करने के आदेश दिये जा चुके हैं किन्तु सम्बन्धित खातेदारों द्वारा सक्षम न्यायालयों में अपील प्रस्तुत करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण लाख 54 हजार 380 एकड़ भूमि का ही सरकार द्वारा कब्जा लिया जा सका है। सीलिंग कानून के फलस्वरूप अधिग्रहित भूमि में से 33 हजार 485 एकड़ भूमि 4,598 भूमिहीनों को आवण्टित करदी गई है। गांवों में उपलब्ध सरकारी कृषि योग्य भूमि का आवंटन करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। फलस्वरूप 17 हजार 231 व्यक्तियों को 95 हजार 834 एकड़ भूमि का आवंटन 1 जनवरी, 1974 से 30 सितम्बर, 1974 तक किया गया है।

काश्तकारों को सुविधाजनक तरीके से बैंक से ऋण दिलाने एवं काश्तकारों के पास अपनी भूमि का विवरण उपलब्ध रह सके इस दृष्टि से राजस्थान में अब तक 18 लाख 86 हजार 514 पास-बुकों का वितरण किया जा चुका है।

राज्य सरकार सीलिंग कानून को पूरी तरह अमल में लाकर अधिग्रहण योग्य भूमि का अधिग्रहण करके भूमिहीनों को यथाशीघ्र आवंटन करने, गांवों में उपलब्ध अन्य सरकारी कृषि योग्य भूमि का आवंटन करने, अतिक्रमण के समस्त नियमन योग्य मामलों में नियमन सम्बन्धी कार्यवाही करने, खातेदारी के अधिकार देने, भू-अभिलेख पूर्ण करने व पास-बुक वितरण करने आदि राजस्व सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए एक विशेष अभियान का आयोजन कर रही है।

इस वर्ष कडाना परियोजना तथा माही बजाज सागर के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए भी बड़े पैमाने पर कदम उठाये गये हैं।

चालू वर्ष में राजस्थान नहर के अलावा बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे चम्बल स्टेज 1, माही, और जाखम तथा मीडियम प्रोजेक्ट्स जैसे सेई, जैतपुरा, गोपालपुरा तथा मेजा फीडर पर काम जारी है। सेई, जैतपुरा तथा गोपालपुरा प्रोजेक्ट्स वर्ष 1976-77 में पूरे हो जाने की उम्मीद है। इनके पूरे होने पर 10 हजार हैक्टेयर रकबे में सिंचाई हो सकेगी। 30 माइनर इरींगेशन स्कीम्स ए. आर. सी. की मदद से चलाई जा रही हैं जिसमें से 4 इस साल हाथ में ली गई हैं और 8 और स्कीम्स ए. आर. सी. ने मंजूर कर दी हैं।

राज्य में कुल सिंचित रकबा जो साल 1973–74 के आखीर में 26.17 लाख हैक्टेयर था, 1974–75 के आखिर तक बढ़ कर 26.97 लाख हैक्टेयर हो जाने की उम्मीद है। साल 1975–76 के आखीर तक इस रकबे को और बढ़ाकर लगभग 27.64 लाख हैक्टेयर करने का लक्ष्य है।

देहाती विजलीकरण के क्षेत्र में विजली मण्डल ने चालू वर्ष में और प्रगति की है। 31 मार्च, 1974 तक राज्य में इलेक्ट्रफाइड गांवों और कुओं की संख्या क्रमश: 5,935 तथा 73 हजार 630 थी। जनवरी, 1975 तक यह संख्या बढकर 6,189 व 84 हजार 51 हो गई। अकेले 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक के तीन महीनों में 9,100 कुओं को बिजीली दी गई। इस वर्ष देहाती बिजलीकरण निगम द्वारा दिसम्बर, 1974 तक 16 नई योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। इनमें से 7 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की तथा 9 साधारण देहाती बिजलीकरण कार्यक्रम की हैं। इनके पूरा होने पर करीब 996 गांव और लाभान्वित होंगे व करीब 6,918 और कुओं को बिजली मिल सकेगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिजली मण्डल ने अपने बजट में 25 लाख रुपयों का प्रावधान पिछड़ी एवं हरिजन बस्तियों के बिजलीकरण के लिए किया है। चालू वर्ष में 300 हरिजन एवं पिछड़ी जाति की बस्तियों को बिजलीकरण हेतु स्वीकृत किया जा चुका है। इस काम पर करीब 15 लाख रुपयों के खर्च का अनुमान है।

राज्य में 1974–75 में प्लान मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और राजस्थान नहर व चम्बल नहर के कमाण्ड एरियाज के तहत सड़कों के लिए शुरू में कुल 391 लाख रुपये रखे गये थे। लेकिन इसके बाद प्लान के तहत भारत सरकार से राहत कार्यों के लिए हाल ही में और मदद मिलने की वजह से कुल खर्चा 6 करोड़ से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। अगले साल मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, राजस्थान नहर और चम्बल नहर के कमाण्ड एरियाज और स्टेट प्लान की और सड़कों के चालू कामों पर खर्चा किया जायेगा।

राज्य में उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योगों की संख्या में गत वर्षों में हुई वृद्धि प्रदेश के औद्योगिक विकास की गति को प्रतिबिम्बित करती है। वर्ष 1972 के अन्त में विभाग में स्थायी रूप से पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की संख्या 11 हजार 205 थी जो वर्ष 1974 के अन्त में लगभग 22 हजार तक पहुंच गई। वर्ष 1973 तक पंजीकृत लघु उद्योगों का केन्द्र सरकार की एक योजना के अन्तर्गत राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण सितम्बर, 1974 में पूरा हो गया है। 16 पिछड़े जिलों में से 6 चयनित जिलों जोधपुर, अलवर, चूरू, नागौर, उदयपुर, भीलवाड़ा में 10 से 15 प्रतिशत विशेष केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इन जिलों में उद्योग स्थापना के लिए उपक्रमियों में विशेष उत्साह आया है। लघु उद्योगों के विकास के साथ-साथ कुटीर एवं गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभाग ने गृह उद्योग योजना शुरू की है।

मध्यम तथा बड़े उद्योगों के क्षेत्र में भी 1974–75 में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य में बिजली की अच्छी सप्लाई के कारण उपक्रमियों का राज्य में उद्योग लगाने के प्रति

आकर्षण निरन्तर बढ़ा और नए बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए 50 आशय-पत्र और लाइसेंस प्राप्त हुए। इनमें निजी क्षेत्र के लिए सीकर के पास सीमेण्ट फैक्ट्री, अलवर, जयपुर तथा जोधपुर में मिनी स्टील प्लान्ट, दो ऊनी धागे की मिलें, उदयपुर में दो फास्फोरस के कारखाने, अलवर में रबर का कारखाना तथा सहकारी क्षेत्र में तीन कपड़े की मिलें मुख्य हैं। निम्बाहेड़ा में सीमेण्ट का कारखाना तथा गुलाबपुरा के पास सूती मिल उत्पादन शुरू करने वाले हैं। मध्यम क्षेत्र के लिए भी राज्य सरकार द्वारा 40 अनुमति पत्र दिये गए।

प्राइवेट और सहकारी क्षेत्रों में लगने वाले इन बड़े और मध्यम उद्योगों के अलावा राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को भी वर्ष 1974-7 में दो और आशय-पत्र सूती धागा बनाने के लिए मिले हैं। इस प्रकार निगम के पास अब कुल 13 आशय-पत्र हो गये हैं। इनमें से 5 आशय-पत्र इण्डस्ट्रियल लाइसेन्स में परिवर्तित हो चुके हैं। स्कूटर, थ्री-व्हीलर स्कूटर, ग्लास बोटल, मिनी स्टील, टी.वी., केलशियम कार्बाइड व ग्लास शैल सम्बन्धी कार्य काफी प्रगति पर है। स्कूटर फैक्ट्री में अब 1975 के मध्य तक प्रोडक्शन शुरू हो जायेगा। सूती धागों की फैक्ट्री का शिलान्यास बांसवाड़ा में 5 फरवरी, 1975 को प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किया गया है।

राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य में लगने वाले उद्योगों को जो सुविधायें चौथी पंचवर्षीय योजना में मिलती रही हैं, कमोबेश वही सुविधायें, पांचवीं योजना के दौरान भी मिलती रहें।

टोंक में चमड़े के कारखाने के पहले चरण का काम पूरा होकर 18 दिसम्बर, 1974 को इसमें उत्पादन शुरू हो गया है। इस कारखाने पर कुल सवा करोड़ रुपये का खर्चा होगा। जब यह कारखाना पूरा काम करने लगेगा तो उसमें 5 हजार चमड़े हर रोज तैयार किये जायेंगे।

गंगानगर शुगर मिल को जून, 1974 में समाप्त होने वाले वर्ष में 25 लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना में वर्ष 1974-75 में 5 हजार टन सोडियम सल्फेट का उत्पादन होने की सम्भावना है। सोडियम सल्फेट की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए पंचम पंचवर्षीय योजना में 40 टन प्रतिदिन क्षमता का एक और प्लान्ट लगाने की योजना है।

राज्य में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा 17 परियोजनायें चलाई जा रही हैं। इनके तहत रॉकफास्फेट, तांबा, सीसा, जस्ता, सीमेन्ट बनाने योग्य चूने का पत्थर एवं कांच की मिट्टी हेतु अन्वेषण कार्य से राज्य के औद्योगिक विकास में योगदान होगा। झामर कोटड़ा रॉकफास्फेट भण्डार हेतु जो अन्वेषण कार्य अभी तक हुए हैं उसके अनुसार 350 लाख टन का भण्डार होने की बाबत पता चल सका है। आगे अन्वेषण कार्य प्रगति पर है।

1974-75 में रॉकफास्फेट का उत्पादन लक्ष्य 3.50 लाख टन है। जिसकी तुलना में माह दिसम्बर, 1974 तक 2 लाख 86 हजार 400 टन उत्पादन किया जा चुका है। सिरोही जिले में डेरी गांव के पास तांबे

सीसा, जस्ता हेतु परियोजनायें चल रहीं हैं, जिनके अन्तर्गत एक 'शॉफ्ट' का खनन कार्य पूरा हो चुका है एवं दूसरे 'शाफ्ट' पर प्रगति सन्तोषप्रद है। इसी जिले में बसन्तगढ़ एवं गोलिया के आस पास/भी तांबा, सीसा एवं जस्ता के भण्डार उपलब्ध हैं और इन पर खोज कार्य प्रगति पर है। बसन्तगढ़ परियोजना से निकाले हुए नमूनों की जांच से यह पता चला है कि यहां पर एवं बिछीवाड़ा (डूंगरपुर जिला) की परियोजना पर 'एंटीमनी' धातु भी उपलब्ध है। यह एक महत्वपूर्ण खोज है। राज्य के अन्य कई खनिजों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (जिसका नाम पहले बीकानेर जिप्सम्स लि. था) के माध्यम से खनन किये गये रॉकफास्फेट में से 1 लाख 40 हजार 79 टन राज्य सरकार द्वारा विक्रय किया गया जिससे राज्य को करीबन 7 करोड़ 70 लाख की आय हुई है। खनिज विकास सम्बन्धी यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योग 'हिन्दुस्तान तांबा परियोजना' एवं 'हिन्दुस्तान जिंक परियोजना' के विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक कार्यक्रम तैयार किया गया है जिस पर अनुमानित 17 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

इस वर्ष का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम परिवहन विभाग का पुनर्गठन है। अब वाहनों सम्बन्धी सब काम परिवहन विभाग में ही होते हैं। पहले चार विभागों में अलग अलग काम होता था। इससे जन सुविधा में वृद्धि हुई है, प्रशासनिक कुशलता बढ़ी है और परिवहन विभाग की आय में सन्तोषजनक वृद्धि हुई है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा गत वर्ष 25 प्रतिशत मार्गों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु वित्तीय एवं कानूनी कठिनाइयों के कारण यह लक्ष्य 17.2 प्रतिशत ही पूरा किया जा सका। इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और साल के अन्त तक यह प्रतिशत 28 हो जाने की सम्भावना है।

जयपुर, अजमेर एवं कोटा नगरों के मास्टर-प्लानों को अन्तिम रूप दे दिया गया है। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर एवं अलवर के ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किये जा चुके हैं तथा ये सलाहकार समिति के सामने प्रस्तुत किये जा रहे हैं। भावी वित्तीय वर्ष में भरतपुर, सीकर, नागौर, बांसवाड़ा, पाली एवं बूंदी के ड्राफ्ट मास्टर प्लान तैयार किये जाने की सम्भावना है।

कच्ची बस्तियों में एनवायरनमैन्टल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत 1974–75 में जयपुर, जोधपुर और अजमेर के लिए क्रमशः 35, 15 और 4 लाख रुपयों का खर्चा होने की उम्मीद है। 1975–76 में इस योजना के लिए 30 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिससे हाथ में लिए गए कामों को जारी रखा जायेगा। इसके अलावा अलवर नगर के प्रस्तावित मास्टर प्लान को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सन्दर्भ में अलवर नगर की विकास परियोजना तैयार की गई है जो भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए भेज दी गई है। जयपुर शहर के मास्टर प्लान को क्रियान्वित करने हेतु जयपुर डवलपमेन्ट आथोरिटी प्रस्तावित है।

(38)

राजस्थान आवासन बोर्ड की पिछली तीन पंजीकरण योजनाओं के तहत वर्ष 1973 तक आठ शहरों में 33 हजार 233 लोगों ने पंजीकरण करवाया था। वर्ष 1974 में बोर्ड ने सामान्य पंजीकरण योजना 1974, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर शहरों के लिए प्रसारित की जिसके तहत कुल 2,545 लोगों ने पंजीकरण करवाया। वर्ष 1974-75 में बोर्ड ने पहलीबार पाली, सीकर, चूरू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर और बाड़मेर शहरों में भी पंजीकरण शुरू किया है। वर्ष 1974-75 में 365 लाख रु. की लागत के करीब 18 0 मकानों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया जिसमें से करीब 1100 मकान पूर्ण होने की योजना है और वर्ष 1975-76 में 782.47 लाख रुपये की लागत से 5 हजार 181 मकानों के बनाने की योजना है।

वर्ष 1975-76 में प्रगतिरत योजनाओं के पूर्ण करने के अतिरिक्त नई एवं पुनर्गठित योजनाओं का कार्य भी हाथ में लिया जायगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1974-75 के अन्त तक लक्ष्यानुसार 740 जल प्रदाय योजनाएं एवं हैंड-पम्प योजनाएं पूरी की जाकर 2327 गांवों की लगभग 35 लाख जन संख्या लाभान्वित होने की आशा है। वित्तीय वर्ष 1975-76 में लगभग 50 निर्माणाधीन जल योजनाओं को पूरा करने के अलावा नवीन योजनाएं भी मंजूर की जायेंगी। इसके अलावा राजस्थान नहर के इलाके में डिग्गियों और देहातों में कुओं के बनाने का काम भी जारी रखा जायेगा।

जन-स्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा राज्य के सभी गांवों की जल-समस्या जानने हेतु सर्वेक्षण किया जा चुका है व प्रत्येक जिले की जल-समस्या निवारण करने हेतु मास्टर प्लान तैयार किये जा चुके हैं। अनुसूचित जातियों एवं हरिजनों की बस्तियों में वर्ष 1974 75 में पानी के नल लगाने हेतु 10 लाख रुपये की स्वीकृतियां दी गई व काम शुरू कर दिये गये हैं। 1974-75 में ही चार नगरों, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ व सरदारशहर में जल निकास योजनाओं का काम शुरू किया गया। वर्ष 1975-76 में जयपुर की सिवरेज योजना शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य में टूरिज्म के बेहतर विकास के लिए सरकार एक कारपोरेशन बनाने जा रही है। एक और काबिलेजिक्र बात यह रही है कि माउंट आबू के विकास के लिये एक बड़ी योजना तैयार की गई है और इस हिल-स्टेशन के विकास के लिए 1974-75 से शुरू करके 5 साल तक 5 लाख रुपये हर साल खर्च करने का फैसला किया गया है। जयपुर में नये टूरिस्ट बंगले का काम शुरू हो चुका है और दूसरी जगहों पर भी कमरों की तादाद बढ़ाने और सैलानियों के लिए बेहतर आसाइशें मुहय्या करने का काम चालू है। इसी तरह जन सम्पर्क विभाग में भी विकास का काम चल रहा है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय राज्य में करीब 418 चिकित्सा इकाइयां 3 हजार से भी अधिक हो गई हैं। वर्तमान में प्रत्येक दस हजार की जन सख्या पर किसी न किसी प्रकार की चिकित्सा इकाई राज्य में उपलब्ध है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के अन्तर्गत चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ किये गये 75

परिवार नियोजन केन्द्रों और 225 परिवार नियोजन उपकेन्द्रों और 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है व इस वित्तीय वर्ष के अन्दर पूरा होने की संभावना है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में 15 लाख रुपये की लागत से, जिसमें 50 प्रतिशत का जन सहयोग होगा, डिसेबल्ड लोगों के लिए एक रिहैबिलिटेशन रिसर्च केन्द्र बनाया जा रहा है। जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड की सहायता से जयपुर में ही नया जनाना अस्पताल बनाने का काम भी शुरू हो चुका है।

इस वर्ष खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या के निराकरण हेतु अनेक कदम उठाये गये हैं। मिलावट निरोधक अधिनियम, 1954 को अब राज्य में करीब-करीब सभी उप जिलाधीश क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है। राज्य में नकली तथा निम्नकोटि की दवाओं के उत्पादन की रोकथाम के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना में औषध नियन्त्रण हेतु अधिक सुसज्जित प्रयोगशालाएं एवं निरीक्षण कर्मचारियों की राज्य एवं जिलास्तर पर व्यवस्था करने का प्रावधान है।

राज्य में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार लाने की दृष्टि से डाक्टरों की प्रायवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। प्रथम चरण में यह प्रतिबन्ध केवल राज्य के पांच मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पतालों तक ही सीमित है। राज्य सरकार इस प्रतिबन्ध को समस्त प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से लागू करने का विचार रखती है।

1974–75 का वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में मूलतः गुणात्मक विस्तार का वर्ष कहा जा सकता है। इस वर्ष संख्यात्मक विस्तार पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया क्योंकि पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार 2,000 प्राथमिक शालायें एवं 2,500 उच्च प्राथमिक शालायें खोल चुकी थी। इस वर्ष 31 प्राथमिक शालायें खोली गई और 11 प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किया गया। सैकेण्डरी स्तर पर इस वर्ष दो स्कूल क्रमोन्नत किये गये तथा केवल एक हायर सैकण्डरी स्कूल खोला गया। आने वाले वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की अपेक्षा इसमें गुणात्मक उन्नति एवं इसे व्यवसायोन्मुख बनाने पर अधिक बल दिया जाएगा। इसी दृष्टिकोण से राज्य ने एक उच्चस्तरीय शिक्षा समिति का निर्माण किया है जो इसके विभिन्न पक्षों पर विचार कर सरकार को सुझाव देगी।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन वर्ग के छात्रों को राज्य सरकार ने 62.55 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां तथा केन्द्रीय सरकार ने 53.05 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां प्रदान की। इस वर्ष तीन महाविद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारम्भ किये गये। परीक्षा प्रणाली में सुधार की दृष्टि से दो महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली शुरू की गई है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से पाठ्येतर प्रवृत्तियों तथा छात्र सुविधाओं को भी विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

पिछड़ी जाति कल्याण कार्य-क्षेत्र में मुख्य प्रवृत्तियां छात्रवृत्ति, निःशुल्क छात्रावास, बेरोजगार स्नातक स्नातकोत्तर वृत्तिका, आश्रम स्कूल, कुटीर उद्योग केन्द्र, भवन निर्माण हेतु अनुदान, छोटे कृषकों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से कृषि-कूप हेतु

५०

प्राप्त ऋण पर ब्याज का भुगतान आदि योजनाएं है। इनके लिए वर्ष 1974–75 में कुल 313.73 लाख रुपये का प्रावधान था जबकि 1975–76 के लिए 250 लाख का रखा गया है। भवन निर्माण अनुदान योजना के तहत राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसायटी से मकान बनाने के लिए ऋण उपलब्ध करने में सहायता के लिये समाज कल्याण विभाग प्रति परिवार 300 रुपये हिस्सा पूंजी अनुदान भी देता है तथा इस ऋण का ब्याज भी अदा करता है। राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में यह अनुदान एक हजार रुपया प्रति परिवार के हिसाब से दिया जाता है। वर्ष 1974–75 में इन सहायता राशियों के लिए कुल 32.40 लाख रुपये रखे गये हैं। इसके अलावा डिनोटीफाइड तथा नोमेडिक ट्राइब्स को प्रति परिवार एक हजार रुपये का अनुदान देने की योजना के तहत भी 1.95 लाख रुपये का प्रावधान है। छात्रवृत्तियों के मामले में सरकार ने यह तय किया है कि यह पहले मिलने वाली केन्द्रीय राशि और अतिरिक्त छात्रवृत्ति के योग और बढ़ी हुई केन्द्रीय राशि के बीच के अन्तर की हद तक अतिरिक्त छात्रवृत्ति देना जारी रखेगा। इन योजनाओं के अलावा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आर्थिक विकास के लिये पंचायत एवं विकास, सहकारिता तथा वन विभाग के माध्यम से विभिन्न कार्य सुचारू रूप से किये जा रहे हैं।

सामान्य समाज कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत बालगृह, शिशु–गृह, परिवीक्षा सेवा महिला सदन, स्वागत आश्रम, वृद्ध एवं अशक्त गृह, सामाजिक सुरक्षा, अनाथ आश्रम, अपाहिज एवं विकलांग कल्याण, भिक्षावृत्ति नियन्त्रण परियोजना, वृद्धावस्था एवं अपाहिज पेन्शन एवं विशेष पोषाहार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

प्रशासन के कार्य में विलम्ब अथवा भ्रष्टाचार की शिकायतों तथा जन साधारण की कठिनाइयों को दूर करने के प्रति राज्य सरकार पूर्णतया जागरूक है। इसी उद्देश्य को लेकर जुलाई 1971 में सरकार ने जन अभियोग निराकरण विभाग की स्थापना की थी तथा जिलेवार जन अभियोग निराकरण तथा सतर्कता समितियों का गठन किया गया है।

अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा मनोनीत विधायक और जिला परिषद् के प्रतिनिधि जिला समितियों के सदस्य हैं जिनके सहयोग से न केवल आम लोगों की स्थानीय शिकायतों को दूर करने में सहयोग मिला है बल्कि समितियों ने कई विभागों की जिला इकाइयों के काम-काज में सुधार लाने के सुझाव भी दिये हैं।

प्रत्येक जिला कार्यालय में लोगों की शिकायतें सुनने के लिए समय और दिन निश्चित कर दिये गये हैं तथा जिलाधिकारी अपने दौरे के समय भी स्थानीय लोगों से सम्पर्क करते हैं। कुछेक जिलों में भूमि और राजस्व सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने तथा पिछड़े हुए काम को निपटाने के लिए विशेष अभियान भी चलाये गये हैं।

राज्य सरकार राजपत्रित अधिकारी एवं राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों और विभागीय जांच को शीघ्र निपटाने में सदैव प्रयत्नशील रही है। राज्य का कार्मिक विभाग कर्मचारियों के पुराने बकाया वेतन

निर्धारण, स्थायीकरण व पेन्शन के मामलों को निपटाने व राज्य सेवा सम्बन्धी मामलों में सलाह देने की जुम्मेदारी को पूरी तरह वहन करता रहा है जिसके फलस्वरूप अब तक 27 हजार 500 कर्मचारियों के स्थायीकरण सम्बन्धी आदेश जारी करवाये जा चुके हैं एवं वर्ष 1974–75 में लगभग 500 पेन्शन के मामले निर्णीत करवाये जा चुके हैं। राजस्थान मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ की मांगों पर विचार करने के लिए देवपुरा समिति का गठन किया गया एवं उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर कई महत्वपूर्ण लाभ कर्मचारियों को दिये जा चुके हैं।

राज्य सरकार तथा उसके कर्मचारियों के बीच अच्छे सम्बन्धों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी तथा अनिवार्य मध्यस्थता सम्बन्धी योजना घोषित की गई है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लिए राज्य सेवा में पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति दोनों के लिए 28–28 प्रतिशत पदों का आरक्षण कर दिया गया है। इस वर्ष में सबसे अधिक सेवा नियम बनाये गये, सेवा नियमों में सबसे अधिक संशोधन जारी किये गये एवं सबसे अधिक विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें की गई।

जहां तक श्रम तथा नियोजन का ताल्लुक है, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 30 अनुसूचित नियोजन हैं। इनमें काम करने वाले अकुशल, अर्द्धकुशल व कुशल श्रमिकों के लिए मासिक न्यूनतम वेतन न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल की सिफारिशों के अनुसार हाल ही में बढ़ाकर 130 रु., 156 रु. व 188.50 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

महंगाई भत्ते को मूल्य सूचनांक अंकों से जोड़ने के फार्मूले पर पुनः विचार कर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

अनेक नए प्रगतिशील श्रम कानूनों के मसविदे विधान सभा के इसी सत्र में पेश किये जाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त समझौता तन्त्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, दुकान वाणिज्य संस्थान अधिनियम का कार्य-क्षेत्र बढ़ाया गया है और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्य में भी सुधार किया गया है।

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन देने की केन्द्रीय योजना के अधीन अब तक इस राज्य के 875 स्वतन्त्रता सेनानी और उनके आश्रितों को पेन्शन स्वीकृत की गई है। इस प्रकार वर्ष 1974-75 में राजस्थान स्वतन्त्रता सेनानी सहाय्य नियम, 1959 के तहत 87 स्वतन्त्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को सहायता प्रदान की गई है।

राज्य में कानून और व्यवस्था की हालत भी संतोषजनक रही। रेल कर्मचारियों की हड़ताल और दूसरे आन्दोलनों का सतर्कता एवं तत्परता से मुकाबला किया गया। गत सालों के मुकाबले इस साल अपराधों में कुछ बढ़ोतरी अवश्य हुई परन्तु चालान एवं बरामदगियों का औसत अच्छा रहा। पुलिस ने सक्रिय डाकुओं के गिरोहों को समाप्त कर राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। पुलिस विभाग की पुनर्गठन योजना के तहत राज्य के पुलिस काडर को पुनर्गठित किया गया है जिसके अनुसार अब पुलिस अधिकारियों में

Page No 42

(M2)

डी. वाई. एस. पी. प्रभारी अधिकारी रहा करेंगे । पुलिस सर्किलों तथा राजस्व सब-डिवीजनों को कोटर्मिनस बनाया जा रहा है । मुख्य शहरों में पुलिस कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जा रहे हैं । एन्टीकरप्शन सी. आई. डी., क्राइम्स व सी. आई. डी. इन्टेलीजेन्स शाखाओं तथा प्रशिक्षण व्यवस्था को सुसंगठित और मजबूत बनाया गया है । रेन्ज हैडक्वार्टर्स पर रिजर्व फोर्स की भी व्यवस्था की गई है । इसके अलावा आधुनिकरण योजना के अन्तर्गत पुलिस दल को कुशल एवं प्रभावशील बनाया जा रहा है जिसमें संचार व्यवस्था का सुधार प्रमुख है ।

इस सत्र का मुख्य कार्य जिसके लिये आपको आमन्त्रित किया गया है, वह आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर विचार-विमर्श करना एवं उसे पारित करना है । मुझे पूरा विश्वास है कि बजट पर विचार करते समय आप राज्य के चहुंमुखी विकास का ध्यान रखेंगे जिसके लिये हम सभी कटिबद्ध हैं । राज्य सरकार इस सत्र में राजस्थान लैण्ड डेवेलपमेन्ट कार्पोरेशन बिल, 1975, राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड एक्विजिशन आफ लैण्ड ओनर्स एस्टेट्स (एमेन्डमेन्ट) बिल, 1975, राजस्थान पंचायतीराज इंस्टीट्यूशन्स (एक्सटेन्सन ऑफ टर्म) बिल, 1975, राजस्थान कन्ट्रोल आफ गुन्डाज बिल, 1975, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस (प्रिवेन्शन आफ टिकिटलैस ट्रैवल) बिल, 1975, जोधपुर यूनिवर्सिटी (एमेन्डमेन्ट) बिल, 1975, उदयपुर यूनिवर्सिटी एमेन्डमेन्ट बिल, 1975, राजस्थान कार्मसियल क्रास सेस बिल, 1975, राजस्थान टैनेन्सी (एमेन्डमेंट) बिल, 1975, दि राजस्थान टैक्सेशन लाज (सैकेण्ड एमेन्डमेन्ट) बिल, 1975, दि राजस्थान सेल्स टैक्स (एमेन्डमेन्ट) बिल, 1975, दि कोटा म्यूनिसिपल लिमिट्स (कन्टीन्यूड एग्जिस्टेन्स) वैलिडेटिंग बिल, 1975, दि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट (अमेन्डमेन्ट) बिल, 1975, दि राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (सैकेण्ड एमेन्डमेन्ट) बिल, 1975 दि राजस्थान मोटर व्हिकल्स टैक्सेशन (एमेन्डमेन्ट) बिल, 1975, दि राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (एमेन्डिंग एण्ड वैलिडेटिंग प्रोविजन्स) बिल, 1975, एवं दि राजस्थान खादी एण्ड विलेज इन्डस्ट्रीज बोर्ड (एमेन्डमेन्ट) बिल, 1975 आपके सामने विचार-विमर्श एवं उचित कारवाई हेतु प्रस्तुत करेगी ।

गत वर्ष में हमारी सफलताओं एवं आने वाले वर्ष में हमें क्या कुछ करना है उसका लेखा-जोखा मैंने मोटे रूप में आपके सामने रखा । मुझे विश्वास है कि समस्याओं के समाधान हेतु आप जो भी विचार करेंगे वे जनहित की भावनाओं को लिए हुए होंगे । राज्य के चहुंमुखी विकास की दिशा में आप अग्रसर हों और उसमें सफल हों, यही मेरी कामना है ।

जयहिन्द ।

शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक 17 फरवरी, 1975

क्र.सं.	स्कम्भ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
1.	अंक-संख्या	2	पंचम सत्र	सप्तम् सत्र
2.	11	ऊपर से 16 के बाद	–	
3.	11	नीचे से 5	स्विरीजन्स	रीजन्स
4.	12	ऊपर से 2	और अगर	अगर
5.	12	ऊपर से 4	मगर	अगर
6.	12	ऊपर से 14	उल्लेख	पर उल्लेख
7.	13	नीचे से 10	श्री पूनमचन्द विश्नोई	–
8.	13	नीचे से 5	भषण	भाषण
9.	18	ऊपर से 2	डिटेल	डिटेल में
10.	18	ऊपर से 14	मोटराम	मोटाराम
11.	22	नीचे से 16	बीकानेर	भीलवाड़ा
12.	53	ऊपर से 10	बीजें	चीजें